

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
IN ORIGINAL APPLICATION OF 2023**

IN THE MATTER OF:

Pushpendra Kumar

...PETITIONER

VERSUS

Block Development Officer Kadaura & Ors.

...RESPONDENTS

INDEX

Sr. No.	PARTICULARS	PG. No.
1.	ACTION TAKEN REPORT FILED BY ACS, ANIMAL HUSBANDRY , DEPARTMENT STATE OF UTTAR PRADESH	1 - 10
2.	ANNEXURE A-1 TRUE COPY OF THE NOTIFICATION NO.4324- 37-2-2018-5(53)/2018 DATED.	11 - 25
3.	ANNEXURE -A2(A) TRUE COPY OF A SURVEY REPORT FOR WATER POLLUTION FROM ENGINEERING COLLEGE JHANSI OR JAL SANSTHAN OR ANY OTHER INSTITUTION.	26 - 27

4.	ANNEXURE- A2(B) TRUE COPY OF A VERIFICATION REPORT OF ALL GO ASHRAY STHALS FROM DISTRICT LEVEL OFFICERS.	28
5.	ANNEXURE-A2(C) TRUE COPY OF THE GUIDELINES REGARDING ENVIRONMENTAL STANDARDS FOR NIRASHRIT GO ASHRAY STHAL IN RURAL AREAS IN LINE WITH THE CPCB AND ICAR NORMS FOR DIARIES AND GOSHALAS.	29-30
6.	ANNEXURE-A2(D) TRUE COPY OF THE MEETING GUIDELINES OF CPCB AND ICAR DATED 14.08.2023.	31-32
7.	ANNEXURE-A2(E) TRUE COPY OF THE SURVEY REPORTS WHICH ARE TAKEN OF IN FIFTH MEETING ON 23.08.2023.	33-34
8.	ANNEXURE-A3 TRUE COPY OF THE GUIDELINES REGARDING ENVIRONMENTAL MANAGEMENT OF GO ASHRAY STHALS IN RURAL AREAS ISSUED BY GOVT. ORDER NO. 2104/37-2-2023 DATED 30.08.2023.	35-59
9.	ANNEXURE-A4 TRUE COPY OF THE STATUS OF THE FODDER IN THE DISTRICT JALAUN AS ON DATED 13.07.2023.	60-63
10.	ANNEXURE-A5 TRUE COPY OF THE STATUS REPORT AND PHOTOGRAPHS OF VACCINATION PROGRAMMES CONDUCTED IN DIFFERENT GO ASHRAY STHAL.	64-68

11.	ANNEXURE-A6 TRUE COPY OF THE LETTER DATED 03.06.2022, 04.11.2022 OF CHIEF VETERINARY OFFICER.	69-70
12.	ANNEXURE-A7 TRUE COPY OF THE OFFICER ORDER DATED 27.07.2023 ALONG WITH TEST REPORTS OF DIFFERENT VILLAGERS UNDER THE DIRECTION OF EXECUTIVE ENGINEER, JAL NIGAM.	71
13.	ANNEXURE-A7(A) TRUE COPY OF THE LETTER DATED 28.07.2023, 19.08.2023, 21.08.2023 OF EXECUTIVE ENGINEER TO CHIEF DEVELOPMENT OFFICER REGARDING THE WATER TEST REPORT.	72-74
14.	ANNEXURE-A7(B) TRUE COPY OF THE 54 GO ASHRAY STHALS WATER TESTING REPORTS.	75-116
15.	ANNEXURE-A8 TRUE COPY OF THE ESTABLISHMENT OF NIRASHRIT GOVANSH ASHRAY STHALS IN RURAL AREAS AND EXEPTION FROM TAKING POLLUTION CLEARANCE FROM SPCB.	117
16.	ANNEXURE-A9 TRUE COPY OF THE ENVIRONMENTAL GUIDELINES FOR KANHA GOSHALAS AND TEMPORARY GO ASHRAY STHALS THROUGH LETTER NO. 2115/37-2-2023 DATED 30.08.2023.	118

FILED BY

ACS, ANIMAL HUSBANDRY

STATE OF UTTAR PRADESH

Through Counsel 

Ehanwar Pal Singh Jadon (Adv.)
LL.M.
121, New Lawyers Chamber
Supreme Court of India, New Delhi-110001
(M): 09312548756

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 394 of 2022

IN THE MATTER OF:

PUSHPENDRA KUMAR ... APPLICANT VERSUS
 BLOCK DEVELOPMENT OFFICER,
 KADAURA & ORS RESPONDENTS

ACTION TAKEN REPORT FILED BY ADDITIONAL CHIEF
SECRETARY, ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT, STATE
OF UTTAR PRADESH

I Rajneesh Dube S/o Dr Brahmanand Dube aged about 59 years currently working as Additional Chief Secretary (ACS), Animal Husbandry Department, State of Uttar Pradesh, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That action taken report is being filed by the ACS, Animal Husbandry as the Deponent is familiar with the facts and circumstances of the case, hence is competent to swear this affidavit.
2. That vide order dated 20.07.2023 of the Honourable Tribunal, ACS, Animal Husbandry, State of UP was directed to file the action taken report. That in compliance with the last hearing before this Honourable Tribunal dated 20.07.2023, some additional facts and compliances are being brought on record by filing the present additional affidavit.
3. That following are the details of various steps taken in compliance with the directions for protection of cattle and proper management of Go Ashray Sthal.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the Applicant has filed the present petition under section 18(1) read

I/391343/2023

with section 14,15,16 and 17 of the NGT Act, 2010 seeking inter alia implementation of the CPCB guidelines for the environmental management of gaushala/ dairy farm issued in July 2020 and manual on management of gaushalas by ICAR New Delhi published on 3rd may 2016 and providing basic essential facilities in Go Ashray Sthals of district Jalaun managed by EO, Nagar Panchayats/ Nagar Palika in urban areas and by Block Development Officers in rural areas and imposing a ban on illegal slaughter houses and slaughtering of animals in meat shops in district Jalaun.

2. That the issues raised in this original application are about the conditions of stray cows and how they are dealt with by the authorities in the state. That the applicant has alleged that no due care is provided to the cows in the cattle shed and most of them are dying due to negligence.

It is to mention here that the allegations leveled are not correct, in totality which is evident from the facts and documents mentioned further.

3. That the Deponent has diligently and with true letter and spirit followed the guidelines as prescribed from time to time by the state Government and made various communications to concerned departments for safe upkeep of animals in Go Ashray Sthals.
4. In this backdrop, it is to mention that stray Govansh roaming on roads and fields have become a major issue in the state. That there were various types of disturbances due to stray cows, which being old or unproductive or diseased, are left on roads by their owners. Issues were raised by the farmers regarding crop losses and road accidents and to counter this problem, the state government came up with a notification wherein the state government directed all the concerned authorities to capture the stray cattle and put them in Go Ashray Sthals. True Copy of the notification no. 4324- 37-2-2018-5(53)/2018 dated 02.01.2019 is hereby annexed as-
ANNEXURE-1
5. It is further submitted that conservation of Stray Cattle was taken up with a view to alleviate problems caused due to stray cattle.

I/391343/2023

- 5.1 That the policy of establishment and operation of temporary Go Ashray Sthals covering rural and urban local bodies like gram panchayat, kshetra Panchayat, zila panchayat, Nagar Palika, etc. vide G.O. 4324/सैतीस-2-2018-5(53)/2018 Dated 02.01.2019 has been implemented, the main aim of which is to provide shelter, maintenance, disease control with vaccination and treatment of conserved stray cattle, castration of male progeny, providing breeding facilities to cows.
- 5.2 Stray cattle are being properly conserved in Uttar Pradesh including Bundelkhand with establishment of Go Ashray Sthals under MNREGA scheme and Panchayat funds. Activities like plantation of Napier Grass, vermi-composting, NADEP composting (developed by Narayan Deotao Pandharipande), Gobar Gas Plant, manufacturing of Dungwood, manufacturing of Gobar Paint etc. are also being taken up in order to make Go Ashray Sthal self-sustainable.
- 5.3 Apart from establishment of Go Ashray Sthals, another scheme namely **Mukhya Mantri Sahbhagita Yojna** was also launched, under which public participation was motivated for conservation of stray cattle. In this scheme upto 4 govansh could be adopted by any interested person from temporary Go Ashray Sthal. Under this scheme around 1.25 lakh govansh are adopted by farmers till date.
- 5.4 In state of U.P. 545 goshalas are registered under **U.P. Goshala Adhiniyam, 1964** which are run by NGOs. In these Goshalas weak, old, debilitated, infirm and diseased animals are kept apart from milch animals.
- 5.5 For establishment and management of Go Ashray Sthal, roles and responsibilities of the concerned departments viz. Pashu Palan, Rajasva, Nagar Vikas, Panchayati Raj etc. have been specified by Government notification 4324/37-2-2018-5(53)/2018 dated 02.01.2019, in which under para 3.8.3 (b) the work and duties allocated to Department of Animal Husbandry which includes regular Health examination, Treatment, Castration and Vaccination etc. of the conserved cattle. UP Govt. provides Rs 30 per govansh per day as assistance for feed and fodder. The sole object of the policy was to provide shelter to destitute cattle in Go Ashray Sthals and to make arrangement for maintenance of these cattle.
6. Under the chairmanship of Additional Chief Secretary, Animal Husbandry a VC was held on 27.07.2023 where the District Magistrate, Jalaun was instructed to comply with applicable guidelines of CPCB upto 25.08.2023

I/391343/2023

and get a verification report from all Go Ashray Sthals for basic amenities like shed, water drainage system and dung disposal etc. DM Jalaun was also instructed to constitute a committee in order to get a survey report for water pollution from Engineering college Jhansi or Jal Sansthan or any other institution. It is hereby annexed as ANNEXURE -2(A).

A Meeting through VC was held on 03.08.2023 under the chairmanship of Special Secretary, Animal Husbandry to review the instructions given by the ACS, AH dated 27.07.2023 and instructions were given to CDO Jalaun to get verification report of all Go Ashray Sthals from District level officers is hereby annexed as ANNEXURE -2(B).

7. A third meeting through VC was held on 10.08.2023 under the chairmanship of ACS, AH and instructions were given to constitute a committee under the chairmanship of the then Special Secretary, AH Shri Shiv Sahay Awasthi comprising Additional Director Godhan Dr. Jaikesh Kumar Pandey and Additional Director Ayodhya Dr. Arvind Kumar Singh and nominated representative of UPPCB, to frame guidelines regarding environmental standards for Nirashrit Go Ashray Sthal in rural areas in line with the CPCB and ICAR norms for Dairies and Goshalas. It is here by annexed as ANNEXURE -2(C).

Another meeting was held on dated 14.08.2023 under chairmanship of Special Secretary AH. It was resolved in the meeting that Go Ashray Sthals are neither Goshala nor dairy farms and are actually Cattle Welfare Centers without any commercial angle. Goshalas should comply the guidelines of CPCB and ICAR. It is hereby annexed as ANNEXURE -2(D).

8. Fifth meeting through VC was held on 23.08.2023 under the chairmanship of ACS, AH in which D.M. Jalaun was instructed to get water testing in Go Ashray Sthal for BOD and COD. DM was also instructed to ensure that the gaps in Go Ashray Sthal as per survey reports are taken care of. It is annexed as ANNEXURE -2(E).

9. Subsequently elaborate guidelines regarding environmental management of

I/391343/2023

Go Ashray Sthals in rural areas were framed and issued by Govt. order no. 2104/37-2-2023, Dated 30.08.2023 of the Department of Animal Husbandry.

- 9.1 The direction with regard to Solid Waste Management states that regular disposal of cow dung should be carried out along with proper cleaning and sanitation, so that in the nearby areas of Go Ashray Sthals, bad odour could be prevented. For this lime spray should be done at regular interval. Composting of leftover fodder, bedding, straw and cow dung must be assured. Leftover fodder and cow dung should not be flown in water channel in any case.
- 9.2 Vaccine Vials, Medicine kits and Syringes are not stored in these Go Ashray Sthal, but are brought by the VOs from their hospitals as and when needed and the Biomedical waste is carried back to the Veterinary Hospitals to be disposed as per the rules applicable therein.
- 9.3 With regard to effluent Water Management also provisions are available in the guidelines. Urine, floor cleaning and animal bathing water should be stored in a pit and be utilized for irrigation in fodder/crop. The water for floor cleaning should be used judiciously and disposed in a manner, so that it do not pollute underground water.
- 9.4 With regard to Air Quality Management, sheds must be well ventilated, long axis/length must be east-west, so that proper humidity is maintained and harmful gases like methane, carbon dioxide, ammonia etc. are not accumulated in the shed. Establishment of Go Ashray Sthal should be at least 100 meters away from any habitation and minimum space between 2 sheds should not be less than 5 meters.
- 9.5 Plantation in order to make green belt and interlocking floor should also be ensured in every Go Ashray Sthal. Ample arrangements need to be ensured for feeding, clean drinking water and light with proper ventilation. Feeding protocol regarding requirement of fodder and concentrate should be followed as per the guidelines of KVK, Animal Husbandry Department and

I/391343/2023

NDDB, is hereby annexed as ANNEXURE -3.

10. That from time to time, VCs were also conducted by the Chief Secretary, in the presence of ACS, Animal Husbandry, with Commissioners and DMs on the issue of Go Ashray Sthal management and conservation of Govansh on 28.06.2023, 26.07.2023, 22.08.2023 and 05.09.2023.
11. It is germane to mention here that the Department of Animal Husbandry herein has complied with all the applicable guidelines, regulations and by-laws regarding environment protection.
- 11.1 The state has a shortage of green fodder, dry fodder and compounded feed to the extent of 38.28%, 0.66% and 46.98% respectively. The livestock is mainly dependent on green & dry fodder. The area under fodder cultivation is limited to about 8.78 lacs hectares and it is not easy to increase the area under green fodder since an indirect competition exists between fodder production and cereal production for human consumption. The agricultural crop residues mostly are being utilized for animal feeding. Departmental Farms also produce fodder seeds for distribution to the farmers.
- 11.2 There are programmes run by government for establishment of fodder banks and fodder blockmaking units have been setup in the Bundelkhand Region also for ensuring fodder availability in the region during scarcity.
- 11.3 A straw collection and fodder bank campaign was carried out between March, 2023 and May, 2023 for the maintenance of conserved destitute cows in the Go Ashray Sthals in the district. That in the district of Jalaun there are total 34,909 conserved stray cattle for which 173470 Kg of straw was collected this year through charity.
- 11.4 As per DM Jalaun report dated 13.07.2023, most of the Go Ashray Sthals situated in the district were given Napier Grass etc. to feed the stray

I/391343/2023

cattle in the Go Ashray Sthals. Napier Grass is being grown by the Panchayats on different lands (lease, Gram Samaj land etc.) under the direction of CVO (Chief Veterinary Officer). True copy of the status of the fodder in the district Jalaun as on date 13.07.2023 is hereby annexed as ANNEXURE -4.

12. It is submitted that treatment, vaccination, and other disease control activities are undertaken by Veterinary Hospitals and other centers at the village level in districts. The institutional and manpower infrastructure is distributed at district level, regional level, and state level. That vaccination against deadly livestock diseases viz. H.S. (Hemorrhagic Septicemia), F.M.D. (Foot and Mouth Disease), L.S.D. (Lumpy Skin Disease) etc. is undertaken by the department. Under GOI assisted NADCP (National Animal Disease Control program) approx. 32,000 stray cows in Jalaun district have been vaccinated for FMD within a specified period of time. True copy of the status report and photographs of vaccination programmes conducted in different Go Ashray Sthal are hereby annexed as ANNEXURE -5.

13. It is further submitted that as per the directions issued by the Animal Husbandry department for enhancement of Go Ashray Sthal and to make them self-sustainable, Chief Veterinary Officer, Jalaun, directed BDOs and VOs of the district to promote and encourage the farmers to practise cow dung based organic farming and directions were issued to District Panchayat Raj Officer to functionalize the small Gobar Gas plants which are established in the several Go Ashray Sthals. True copy of the letter dated 03.06.2022, 04.11.2022 of Chief Veterinary Officer is hereby annexed as ANNEXURE -6.

14. It is pertinent to mention here that instructions were issued by the District Magistrate, Jalaun regarding the testing of water in rural areas and within 500 meters from each Go Ashray Sthal.

14.1 It is further submitted that upon the directions water testing was conducted

I/391343/2023

by chemist of the Water Testing laboratory. True Copy of the office order dated 27.07.2023 along with test reports of different villages under the direction of Executive Engineer, Jal Nigam is hereby annexed as ANNEXURE -7.

14.2 Water quality of Go Ashray Sthal situated in different villages of block Kadaura, Dakor, Nadigaon, Madhogarh, Kathaund, Jalaun, Maheva, Rampura, Konch, was tested. The report revealed that the water in the respective area is not polluted. True Copy of the letter dated 28.07.2023, 19.08.2023, 21.08.2023 of executive engineer to Chief Development Officer regarding the water test report is hereby annexed as ANNEXURE - 7(A).

14.3 Water Testing in 54 Go Ashray Sthals was conducted and Water was found unpolluted. BOD, COD testing of water was also conducted in 14 Go Ashray Sthals and COD, BOD of water was found as per norms. Testing reports hereby is annexed as ANNEXURE -7(B).

15. Currently there are 385 Go Ashray Sthals, which accommodate 32645 Govansh in Jalaun district. For ensuring shade to Govansh and for green coverage, 4191 trees have been planted along with arrangements for green fodder with sowing of Napier and other grasses in 186 hectares of land in the district. Separate pits have been made for composting of cow dung and urine storage. No waste as such is discharged as effluent to any river or Nala.

16. It is pertinent to mention here that the matter of temporary Nirashrit Go Ashray Sthal in rural areas was referred to the State Pollution Control Board also. The board through its letter No.- H00683/lh&2@MSW-23/23, dated 13.09.2023 mentioned that Go Ashray Sthals are temporary shelters which are removable and are not a commercial establishment. Majority of Go Ashray Sthals accommodate less than 200 cows and are maintained as welfare centers with De-minimis cow livelihood facilities. Minimal Bio Waste is produced in these Go Ashray Sthals and most of the bio waste is

I/391343/2023

composted to produce organic manure. Further SPCB is of the view that these Go Ashray Sthals are not covered under classification of Dairy Farm and Goshala. Preliminary laboratory investigation also reveals that their environmental impact is negligible. Accordingly SPCB have referred the matter to CPCB that establishment of Nirashrit Govansh Ashray Sthals in rural areas need to be exempted from taking pollution clearance from SPCB, is hereby annexed as ANNEXURE- 8.

17. Department of Animal Husbandry has requested the department of Urban Development to issue environmental guidelines for "Kanha Goshalas and Temporary Go Ashray Sthals" in urban areas through letter no. 2115/37-2-2023 dated 30-08-2023 for compliance of CPCB guidelines, which is hereby annexed as ANNEXURE -9.

18. That it is notable that the State government is in the process to hike the feed and fodder allowance from Rs. 30 per Govansh per day to Rs. 50 per Govansh per day so that conserved Govansh can get extra nutrition. This hike will also be applicable to **Mukhyamantri Sahbhagita Yojana**.

That the reply is hereby submitted along with action plan for kind perusal of the Honourable Tribunal. It is therefore most respectfully submitted that the above action taken report may please be taken on record and pass such an order which this Honourable Tribunal may deem fit and proper in the interest of justice.

Signed by राठो रजनीश दुबे
Date: 20-09-2023 12:24:17
Reason: Approved

DEPONENT

I/391346/2023

VERIFICATION

Verified at New Delhi on this day of September, 2023, that the contents of the above mentioned paragraph point 1 to 18 of my affidavit are true to my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed there from.

Signed by दायि रजनीन दुवे


Date: 20-09-2023 12:55:23

Reason: Approved

DEPONENT**THROUGH COUNSEL**


Bhanwar Pal Singh Jadon (Adv.)
LL.M.
121, New Lawyers Chamber
Supreme Court of India, New Delhi-110001
(M): 09312545755

BHANWAR PAL SINGH JADON**COUNSEL FOR ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT****C-613, NOIDA ONE,
SECTOR-62****EMAIL: bhanwar09jadon@gmail.com**

ATTESTED

Munendra Kumar Shishodia
Notary Advocate
Reg. No-13478
28 SEP 2023

778

पशु चिकित्सा अधिकारियों के गौ आश्रय स्थलों से सम्बन्धित कार्य एवं कर्तव्य

शासनादेश सं0 4324/सैतीस-2-2018-5(53)/2018 पशुधन अनुभाग-2 दिनांक 02 जनवरी, 2019 के पैरा संख्या 3.8.3 (ख) के अनुसार गौशालाओं में पशु चिकित्सा अधिकारियों के निम्न प्रकार कार्य एवं कर्तव्य दर्शाये गए हैं संलग्न शासनादेश

1. संरक्षित गौवंश का स्वास्थ्य परीक्षण।
2. चिकित्सा।
3. कृमिनाशक दवापान।
4. बधियाकरण।
5. टीकाकरण।
6. कृत्रिम गर्भाधान के साथ-साथ मृत पशुओं का शव परीक्षण।

कृषि उत्पादन आयोग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में निराश्रित/बेसहारा गौवंश के संरक्षण से सम्बन्धित समन्वयकारी विभागों की दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 की समीक्षा बैठक के दौरान कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या 9 में पशुपालन विभाग के द्वारा गौशालाओं में पशु चिकित्सा सेवाएं दर्शायी गयी है। संलग्न कार्यवृत्ती।




मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-जालौन।

प्रेषक,

डा० अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 4- पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
- 6- समस्त नगर आयुक्त, उ०प्र०।
- 7- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 9- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ०प्र० (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
- 10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ०प्र० (जिलाधिकारी के माध्यम से)।
- 11- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ०प्र० (जिलाधिकारी के माध्यम से)।

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक 02 जनवरी, 2019

विषय:- उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा-ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 19वीं पशुगणना 2012 के अनुसार कुल 501.82 लाख गोवंशीय+महिषवंशीय पशुओं में से 195.57 लाख गोवंशीय पशु हैं। कृषि कार्य में मशीनीकरण के कारण स्वदेशी/अवर्णित गोवंश के नर वत्स का उपयोग कृषि कार्य में किये जाने की परिघाटी प्रदेश से लगभग समाप्त हो गयी है। विदेशी नस्ल के नर वत्स का उपयोग उनमें डील (हम्प) नहीं होने के कारण कृषि कार्य में नहीं होता है इस कारण वर्तमान में गोवंशीय नर वत्स अनुपयोगी होते जा रहे हैं। इन नर गोवंश को पशु स्वामी बेसहारा छोड़ देते हैं। इसके अतिरिक्त ये निराश्रित गोवंश अनियंत्रित प्रजनन द्वारा अनुपयोगी/कम उत्पादकता के गोवंश की उत्पत्ति करते हैं जो निराश्रित पशुओं की संख्या में बढ़ोत्तरी करते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे निराश्रित/बेसहारा गोवंश (नर+मादा) की संख्या में कमी किया जाना आवश्यक है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाकर निराश्रित एवं बेसहारा पशुओं की समस्या के निदान एवं संख्या में कमी लाने का लगातार प्रयास कर रही है तथापि इस ज्वलन्त समस्या के निराकरण हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों (यथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति प्रख्यापित की जा रही है।

2- नीति का उद्देश्य:-

1. निराश्रित/बेसहारा गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराया जाना।
2. आश्रय स्थल पर रखे गये गोवंश हेतु भरण-पोषण की व्यवस्था।
3. संरक्षित गोवंश को विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण एवं समुचित चिकित्सा व्यवस्था तथा नर गोवंश का बंध्याकरण कराना।
4. संरक्षित मादा गोवंश को प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना।
5. गोवंश से उत्पादित दूध, गोबर, कम्पोस्ट आदि के विक्रय व्यवस्था से आश्रय स्थल को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी (Self sustainable) बना कर जनमानस को निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या से छुटकारा दिलाना।

3- नीति को क्रियान्वित करने की कार्ययोजना:-

पशु अतिचार अधिनियम-1871 (संशोधित-21 अगस्त, 1998) में दिये गये प्राविधानों व पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 की धारा-4 के अधीन स्थापित भारतीय जीव जन्तु कल्याण

2
24

[Handwritten Signature]

बोर्ड पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश पत्रांक-9-3/2018-19/पी0सी0ए0, दिनांक-12 जुलाई, 2018 के अनुसार निराश्रित पशुओं के संरक्षण एवं भरण-पोषण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है।

- 3.1 उक्त दिशा-निर्देशानुसार अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कभी भी संपूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना/व्यवस्था एवं प्रबन्धन/संचालन स्थानीय निकाय यथा ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम (जहाँ जैसी स्थिति लागू हो) द्वारा की जायेगी।
- 3.2 ये स्थानीय संस्थाएँ अपने स्तर से स्वयं सेवी संस्थाओं अथवा सी0एस0आर0 में आने वाली कम्पनियों की सहायता इन अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबन्धन/संचालन में ले सकते हैं।
- 3.3 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कभी भी संपूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना का कार्य संबन्धित सुसंगत स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा।
- 3.4 अस्थायी आश्रय स्थलों के स्थापना हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था मनरेगा, संबन्धित सुसंगत स्थानीय निकायों की सन्धित निधि (यथा-ग्राम पंचायत निधि/क्षेत्र पंचायत निधि/जिला पंचायत निधि, नगर निकायों की निधियाँ आदि), वित्त आयोग, खनिज विकास निधि, रायफल निधि, सांसद क्षेत्र विकास निधि, विधायक क्षेत्र विकास निधि आदि से करायी जा सकती है।
- 3.5 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश के संचालन, प्रबन्धन व भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा यथासंभव अपने स्वयं के संसाधनों से की जायेगी।
- 3.6 गोवंश के भरण-पोषण में निकायों में उपलब्ध संसाधनों में कमी के दृष्टिगत अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर संबन्धित स्थानीय निकाय की माँग पर शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि से वित्त पोषण किया जायेगा।
- 3.7 शासन स्तर से अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के प्रबन्धन/संचालन/भरण-पोषण विषयक वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के स्थलीय/भौतिक निरीक्षण के उपरान्त संरक्षित गोवंश की संख्या के 70 प्रतिशत की संख्या को आधार मानते हुए शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित धनराशि के आधार पर भरण-पोषण हेतु अनुदान देय होगा। यह व्यवस्था कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक-15.11.2017 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में निर्गत पशुधन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 2557/सैतीस-2-2017-5(16)/2017, दिनांक-15 दिसम्बर, 2017 के अनुसार की जायेगी।
- 3.8 प्रत्येक जनपद में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम 1000 निराश्रित/बेसहारा गोवंश पशुओं के अस्थायी आश्रय निर्माण हेतु विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं दायित्व (मुख्यालय व फील्ड सहित)-

3.8.1 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु भूमि चिन्होक्न व भूमि उपलब्ध कराना:-

क्र0 स0	कार्य	विभाग	संबन्धित अधिकारी एवं कार्य
3.8.1	ग्राम पंचायत स्तर/नगर निकाय स्तर पर निराश्रित/बेसहारा गोवंश हेतु अस्थायी आश्रय स्थल बनाने योग्य निर्विवादित भूमि (जिसमें चारागाह/गोधर भूमि भी सम्मिलित है) उपलब्ध कराना। सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, कृषि, गन्ना विकास आदि सहयोगी विभागों में भूमि यदि ग्राम स्तर पर उपलब्ध है तो उसे भी चिन्होक्न करना।	राजस्व, नगर विकास (मुख्य नोडल विभाग प्रदेश मुख्यालय स्तर पर) एवं न्याय, कर निबन्धन विभाग तथा अन्य सहयोगी विभाग जैसे सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, कृषि, गन्ना विकास विभाग आदि	प्रदेश मुख्यालय पर 1. मुख्य नोडल विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव व विभागाध्यक्ष 2. लाइन विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव व विभागाध्यक्ष 3. फील्ड स्तर पर (क) मण्डलायुक्त, (ख) जिलाधिकारी, (ग) उप-जिलाधिकारी (घ) लाइन विभागों के मण्डल एवं जनपद स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारी 4. नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी /नगर आयुक्त

24/11/18

3.8.2 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों में अवस्थापना सृजन (जो कभी भी संपूर्णतः हटाया जा सके):-

क्र० सं०	कार्य	विभाग	संबन्धित अधिकारी एवं कार्य
3.8.2 (क)	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की भूमि को उपयोग योग्य बनाना 1- ऊसर, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना 2-भूमि समतलीकरण करना 3-जल संरक्षण कार्य/ तालाब निर्माण 4-खाई निर्माण (प्राकृतिक बाड़)	कृषि विभाग नगर विकास विभाग ग्राम्य विकास विभाग पंचायती राज विभाग समाज कल्याण विभाग	मनरेगा योजना की मार्गनिर्देशिका के अनुबन्ध-36 के अनुसार मनरेगा एवं डेरी तथा पशुपालन विभाग के मध्य कन्वर्जेंस के अंतर्गत चारागाह कार्य अनुमन्य कार्य श्रेणी में सम्मिलित है, जिसके अंतर्गत भूमि समतलीकरण, घारे हेतु घास का रोपण, पशुओं के प्रयोग हेतु तालाब की खुदाई, दूधारोपण का कार्य किया जा सकता है। प्रदेश मुख्यालय: संदर्भित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव /सचिव व विभागध्यक्ष (राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के निर्देशों के क्रम में) फील्ड स्तर पर संबन्धित विभागों के मण्डल/जनपद/तहसील/ विकासखण्ड स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारी तथा नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी/नगर आयुक्त गण (जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के निर्देशों के क्रम में)
3.8.2 (ख)	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर वृक्षारोपण	वन विभाग / पंचायती राज /ग्राम्य विकास/ नगर विकास विभाग	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मास्टर-सर्कुलर-2018-19 के पैरा-7.6.8 के अनुसार वृक्षा रोपण अनुमन्य कार्य श्रेणी सम्मिलित है। संभागीय वनाधिकारी, संबन्धित क्षेत्राधिकारी (वन), जिला पंचायत राज अधिकारी, नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी आदि द्वारा
3.8.2 (ग)	अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों पर जल की व्यवस्था कराना	सिंचाई विभाग / लघु सिंचाई विभाग / नैडा / नगर विकास	पशु आश्रय स्थल पर पानी की समुचित व्यवस्था करना, सोलर पंप आधारित नलकूप की व्यवस्था, पशुओं हेतु पीने के पानी की व्यवस्था। अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई/ लघु सिंचाई विभाग), परियोजनाधिकारी-नैडा, नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी
3.8.2 (घ)	अस्थाई गोवंश आश्रय स्थलों पर चारा उपलब्ध कराना	ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग / नगर	गोवंश आश्रय स्थल पर पशुओं के घारे एवं भूसे की व्यवस्था करना

12
9/11/19

		विकास विभाग	भूसा रखने की व्यवस्था। यदि ग्राम पंचायतें इस कार्य को अपनी वार्षिक कार्य योजना (जी०पी०डी०पी०) में शामिल कर अनुमोदित करती हैं तो यह कार्य ग्राम पंचायत निधि के अंतर्गत संसाधनों के उपलब्धता के अनुसार कराया जा सकता है। नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी
3.8.2 (ऊ)	अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर सौर ऊर्जा/प्रकाश व्यवस्था	नेडा /नगर विकास विभाग / ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज	गोवंश आश्रय स्थल क्षेत्र में समुचित प्रकाश व्यवस्था करना। अतिरिक्त शासकीय अनुदान प्राप्त होने पर यह कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा सकता है। परियोजनाधिकारी-नेडा, नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी

3.8.3 अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों पर अन्य सेवाएँ:-

3.8.3 (क)	गोवंश आश्रय स्थल पर सुरक्षा एवं अन्य व्यवस्था	गृह विभाग/ग्राम्य विकास/पंचायती राज्य विभाग / राजस्व विभाग/ नगर विकास	गोवंश आश्रय स्थल पर पशुओं की देखरेख एवं सुरक्षा हेतु पशु रक्षक/श्रमिक की व्यवस्था करना। श्रमिक द्वारा गोवंश को खिलाने की व्यवस्था, गोबर एकत्र करना, पशुओं को पानी पिलाना, दूध निकालना, हरा चारा काटना तथा सफाई व्यवस्था करना। अतिरिक्त शासकीय अनुदान प्राप्त होने पर यह कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जा सकता है। नगर आयुक्त, संबन्धित अधिशासी अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, संबन्धित उपजिलाधिकारी
3.8.3 (ख)	गोवंश आश्रय स्थल पर संरक्षित पशुओं की पशु चिकित्सा सेवाएँ	पशुपालन विभाग	संरक्षित गोवंश का स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा, कृमिनाशक दवापान, बधियाकरण, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान के साथ-साथ मृत पशुओं का शव परीक्षण इत्यादि का कार्य पूर्णतः निःशुल्क (लेवी से मुक्त) किया जायेगा। मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पशुपालन विभाग के पर्यवेक्षण, नियंत्रण में

- 3.9 प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निकाय/स्थानीय निकाय क्षेत्रों में पिंजरापोल, कॉजी हाउस का पुनर्जीवीकरण कराया जाये। इनमें केयर टेकर/पर्यवेक्षण अधिकारी की अस्थायी/स्थायी व्यवस्था करते हुए इन्हें संचालित किया जायेगा। गायों का दूध निकाल कर उन्हें एवं उनके गोबल्स को छोड़ने वाले कृषकों/पशुपालकों का चिन्हांकन ग्राम स्तरीय विभागीय कार्मिक (यथा राजस्व विभाग के लेखपाल, पुलिस विभाग के चौकीदार, ग्राम विकास के ग्राम विकास अधिकारी, पंचायती राज विभाग के पंचायतराज अधिकारी आदि) द्वारा किया जायेगा।
- 3.10 पशुपालकों/कृषकों के अपने पालतू पशु सड़कों व सार्वजनिक स्थलों तथा अन्य व्यक्तियों की निजी भूमि पर संचरण हेतु यदि छोड़ा जाता है, तो इस दृष्टिकोण से स्थानीय पुलिस प्रशासन/जिला प्रशासन तथा नगर प्रशासन द्वारा उचित आर्थिक दण्डारोपण की कार्यवाही सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत की जायेगी।
- 3.11 ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारियों और शहरी क्षेत्रों में नगर विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा सक्रिय सहभागिता से जहाँ-जहाँ अप्रयुक्त खाली भूमि उपलब्ध है, उसे संबंधित विभाग के माध्यम से उस भूमि पर अस्थायी (किसी भी समय सम्पूर्णतया हटाया जा सकता है) गोवंश आश्रय स्थल निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।
- 4- गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन व प्रबन्धन को वित्तीय रूप से स्वावलम्बी (self sustainable) बनाने हेतु किये जाने वाले कार्य:-

- 4.1 गोवंश आश्रय स्थलों को स्वावलम्बी बनाने हेतु उ०प्र० राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड-नियोजन विभाग, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विभाग, स्किल डेवलपमेंट मिशन, ग्राम्य विकास विभाग, उद्यान विभाग के सहयोग से बायोगैस, कम्पोस्ट/बर्मी कम्पोस्ट, पंचगव्य आधारित औषधियों/उत्पादों यथा साबुन, अगरबत्ती, मच्छर भगाने की कायल, गोनाइल (गोमूत्र से बनी फिनायल) औषधियों आदि का उत्पादन एवं विक्रय करना।
- 4.2 गोबर एवं गोमूत्र आधारित जैविक कृषि एवं बागवानी द्वारा।
- 4.3 गोशाला के गोबर व गोमूत्र से बने खाद व कीटनाशक के विक्रय द्वारा।
- 4.4 गोबर से बने गमलों के विक्रय द्वारा।
- 4.5 गोबर से बने लट्ठों का शमशान घाट में व सर्दियों में अलाव जलाने हेतु।
- 4.6 उद्यमियों को प्रेरित कर गोबर-गोमूत्र के सदुपयोग से बड़े बायोगैस/सी०एन०जी० प्लाण्ट लगवाना।
- 4.7 शून्य बजट पर गो-आधारित प्राकृतिक कृषि पद्धति को अपनाकर गोबर एवं गोमूत्र से प्राकृतिक तरीके से जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत तथा कीटनाशक का निर्माण करके उनका कृषि कार्यों में प्रयोग करने पर गोवंश आश्रय स्थलों को अतिरिक्त आय प्राप्त होगी तथा वे स्वावलम्बी हो सकेंगे।

5- अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन व प्रबन्धन के अनुश्रवण हेतु प्रशासकीय व्यवस्था:-

गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन व प्रबन्धन हेतु विकास खण्ड स्तरीय, तहसील स्तरीय, जनपद स्तरीय तथा मण्डल स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति का गठन एवं प्रदेश स्तर पर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन संलग्नक-1 के अनुरूप किया जाता है।

6- अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, संचालन व प्रबन्धन हेतु प्रस्तावित वित्त व्यवस्था/स्रोत। शासन द्वारा प्रस्तावित नीतियों को क्रियान्वित करने हेतु वित्त पोषण के संबंध में, सम्यक विचारोपरान्त, निम्न निर्णय लिये गये:-

- 6.1 मण्डी परिषद से मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होने वाली 02 प्रतिशत की धनराशि प्रस्तावित कार्य पर व्यय किया जाये।
- 6.2 आबकारी विभाग द्वारा वार्षिक राजस्व के अतिरिक्त आय सेस लगाकर प्राप्त की जायेगी। इस सेस से प्राप्त धनराशि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, व्यवस्था, संचालन व प्रबंधन हेतु चिन्हांकित मदों में व्यय की जायेगी।

22/11

पुस्तक-सूची - विभाग - अर्थ - अर्थशास्त्र

- 1. अर्थशास्त्र - प्रो. ए. ए. कृष्णस्वामी अय्यर
- 2. अर्थशास्त्र - प्रो. ए. ए. कृष्णस्वामी अय्यर
- 3. अर्थशास्त्र - प्रो. ए. ए. कृष्णस्वामी अय्यर
- 4. अर्थशास्त्र - प्रो. ए. ए. कृष्णस्वामी अय्यर
- 5. अर्थशास्त्र - प्रो. ए. ए. कृष्णस्वामी अय्यर
- 6. अर्थशास्त्र - प्रो. ए. ए. कृष्णस्वामी अय्यर


 प्रो. ए. ए. कृष्णस्वामी अय्यर
 अर्थशास्त्र विभाग
 पुस्तकालय

अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, क्रियान्वयन, संचालन व प्रबन्धन
के अनुश्रवणार्थ प्रशासकीय व्यवस्था

1. विकास खण्ड स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति—प्रथम 03 माह में बैठक सप्ताह में न्यूनतम 01 बार तत्पश्चात् माह में 01 बार

1. खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
2. संबन्धित पशुचिकित्साधिकारी	उपाध्यक्ष
3. संबन्धित ग्राम प्रधान	सदस्य
4. संबन्धित पशुधन प्रसार अधिकारी	सदस्य
5. वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी	सदस्य
6. सहायक विकास अधिकारी (कृषि)	सदस्य
7. संबन्धित राजस्व निरीक्षक	सदस्य
8. ग्राम पंचायत अधिकारी	सदस्य सचिव

समिति के कर्तव्य एवं दायित्व

- विकास खण्ड के समस्त ग्राम सभाओं में जहाँ निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या है, में अस्थायी आश्रय स्थल हेतु उपलब्ध गोचर भूमि का प्रबन्धन।
- ग्रामवासियों के सहयोग से गोवंश को आश्रय में लाए जाने की व्यवस्था करना।
- संरक्षित गोवंश हेतु चारा-दाना, पीने के पानी की व्यवस्था करना।
- संरक्षित गोवंश की समुचित चिकित्सा व्यवस्था, अन्य पशुपालन संबन्धित कार्यों को पूर्णतः निःशुल्क (लेवी से मुक्त) कराया जाना।
- आश्रय स्थल पर हरे धारे की उपलब्धता हेतु खेत तैयार कराना, चारा बीज प्रबन्धन, सिंचाई व्यवस्था आदि कराना।
- आश्रय स्थल की सुरक्षा, लाइट की व्यवस्था करना।
- समस्त संरक्षित गोवंश का लेखा-जोखा रखना/टैग लगवाना।
- मृत पशुओं का निःशुल्क शव विच्छेदन कर निस्तारण की कार्यवाही नियमानुसार किया जाना।
- यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा किसी गोवंश को क्रय किया जाता है तो समिति द्वारा निर्धारित कीमत पर विक्री करना तथा यह सुनिश्चित करना कि पशु उक्त क्रेता के पास ही रहे तथा उसका उपयोग दुग्ध उत्पादन/कृषि कार्य के लिए ही किया जा रहा है। उक्त गोवंश के विक्रय से होने वाली आय ग्राम निधि की आय होगी जो पशुओं के भरण पोषण में ही प्रयोग की जा सकेगी।

2. तहसील स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति—बैठक प्रथम 03 माह में सप्ताह में न्यूनतम 01 बार तत्पश्चात् माह में 01 बार

1. उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. पुलिस उपाधीक्षक	सदस्य
3. उप-मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव
4. समस्त खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य
5. तहसीलदार	सदस्य
6. समस्त नायब तहसीलदार	सदस्य
7. अधिशासी अधिकारी नगर निकाय	सदस्य



8. वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी सदस्य
9. उप संभागीय अधिकारी (कृषि प्रसार) सदस्य

समिति के कर्तव्य एवं दायित्व

- विकास खण्ड स्तरीय समिति द्वारा किए जा रहे उक्त वर्णित कार्यों की समीक्षा।
- विकास खण्ड स्तरीय समिति को प्रबन्धन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।
- उपरोक्त व्यवस्था उपरान्त भी गोवंश निराश्रित न हो इसे सुनिश्चित किया जाना।
- यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा पशुओं को छोड़ा जाता है तो इस संबन्ध में कार्यवाही किया जाना। कृषक/पशुपालक को प्रेरित किया जाना कि इस प्रकार का कार्य न करें जिससे समाज को कठिनाईयों का सामना करना पड़े।

3. जनपद स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति: प्रथमतः तीन माह तक बैठक माह में न्यूनतम दो बार उसके पश्चात् प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है।

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
4. नगर आयुक्त नगर निगम	सदस्य
5. मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	सदस्य सचिव
6. परियोजना निदेशक (डी.आर.डी.ए.)	सदस्य
7. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य
8. समस्त उप-जिलाधिकारी	सदस्य
9. अधिशासी अभियन्ता-सिंचाई	सदस्य
10. अधिशासी अभियन्ता-लघु सिंचाई	सदस्य
11. प्रभागीय वनाधिकारी(सामाजिक वानिकी)	सदस्य
12. जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य
13. जिला ग्रामोद्योग अधिकारी	सदस्य
14. जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
15. जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
16. डी.डी.एम (NABARD)	सदस्य
17. मा० जनप्रतिनिधिगण सम्बन्धित जनपद	विशेष आमंत्रित सदस्य

समिति के कर्तव्य एवं दायित्व

- विकास खण्ड/तहसील स्तरीय समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा।
- तहसील स्तरीय समिति को प्रबन्धन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।
- अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु वित्तीय प्रबन्धन
- उपरोक्त व्यवस्था उपरान्त भी गोवंश निराश्रित न हो इसे सुनिश्चित किया जाना।
- यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा पशुओं को छोड़ा जाता है तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना। कृषक/पशुपालक को प्रेरित किया जाना कि इस प्रकार का कार्य न करें जिससे समाज को कठिनाईयों का सामना करना पड़े।

4. मण्डल स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति: प्रथम तीन माह में न्यूनतम दो बार तत्पश्चात् प्रत्येक माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है।

1- मण्डलायुक्त	अध्यक्ष
2- पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक	सदस्य
3- स्थानीय निकाय, नगर विकास विभाग के मण्डल	

2
20/11

स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारी	सदस्य
4- उपर निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य सचिव
5- उप निदेशक, पंचायती राज विभाग	सदस्य
6- मुख्य अभियन्ता, संबंधित मण्डल, सिंचाई विभाग	सदस्य
7- वन संरक्षक, वन विभाग	सदस्य
8- उप निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
9- अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों से संबंधित अन्य सुसंगत विभागों के मण्डल स्तरीय शीर्षस्थ अधिकारीगण	सदस्य

समिति के कर्तव्य एवं दायित्व:-

- जनपद स्तरीय समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा।
- जनपद स्तरीय समिति को प्रबन्धन में आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।
- अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों हेतु वित्तीय प्रबन्धन
- उपरोक्त व्यवस्था उपरान्त भी गोवंश निराश्रित न हो इसे सुनिश्चित किया जाना।
- यदि किसी कृषक/पशुपालक द्वारा पशुओं को छोड़ा जाता है तो इस सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना। कृषक/पशुपालक को प्रेरित किया जाना कि इस प्रकार का कार्य न करे जिससे समाज को कठिनाईयों का सामना करना पड़े।

5. प्रदेश स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति:

मुख्य सचिव महोदय, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में समस्त संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव एवं निदेशक के साथ- प्रथमतः तीन माह तक बैठक माह में न्यूनतम एक बार उसके पश्चात् प्रत्येक तीन माह में एक बार बैठक प्रस्तावित है। पशुवन विभाग, उ०प्र० शासन नोडल विभाग की भूमिका निभाएगा।

[Handwritten signature]
21/11

उत्तर प्रदेश शासन
 पशुधन अनुभाग-2
 संख्या-4334/19 / सैंतीस-2-2019-5(53) / 2018टी.सी.।।
 लुखनऊ: दिनांक: ०६ दिसम्बर, 2019

जिलाधिकारी,
 महोबा / फतेहपुर / गौतमबुद्धनगर / जालौन एवं कन्नौज,
 उत्तर प्रदेश।

निराश्रित/बेसहारा गोवंश को इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किये जाने हेतु शासन के आदेश संख्या-3256/37-2-2019-30(4)/2019, दिनांक 08.08.2019 द्वारा मा० मुख्य मंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना का प्रख्यापन किया गया है। मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21.11.2019 को आहूत वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रश्नगत योजना में आपके जनपद की प्रगति सबसे कम पायी गयी।

2. इस सम्बन्ध में नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के भीतर प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यदि आप का उत्तर निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो यह समझा जायेगा कि आपको इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है और गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले लिया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त।

(बी०एल० मीणा)
 प्रमुख सचिव।

365
 18-12-19

पशुचिकित्सा
 अधिकारी इरई

जिलाधिकारी
 महोबा
 18-12-19

10/12/19
 2455

8	शुधारोपण	नग, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, नगर विकास
9	पशु निविदित्वा शोध	पशुपालन विभाग

2- तदनुक्रम में अध्याय महोदय द्वारा प्रयुक्त विधेय के क्रम में समस्त सम-व्यवहारी विभागों को उक्त शासनादेश में विहित व्यवस्था से प्रस्तावित अवगत कराया गया कि पशु अतिवार अधिनियम-1871 (संशोधित-21 अगस्त, 1990) में विधेय गये प्राविधानों व पशुओं के प्रति प्रयुक्त निवारण अधिनियम-1960 की धारा-4 के अधीन स्थापित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश पत्रांक-9-3/2018-19/पी0सी0ए0 दिनांक-12 जुलाई, 2018 के अनुसार निराश्रित पशुओं के संरक्षण एवं भरण-पोषण की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है। यह भी अवगत कराया गया कि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कमी भी संपूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना/व्यवस्था एवं प्रबन्धन/संचालन स्थानीय निकाय यथा ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत/नगर पंचायत/नगर निगम (जहाँ जैसी स्थिति लागू हो) द्वारा की जायेगी तथा अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के स्थापना हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था मनरेगा, संबन्धित सुसंगत स्थानीय निकायों की संचित निधि (यथा-ग्राम पंचायत निधि/क्षेत्र पंचायत निधि/जिला पंचायत निधि, नगर निकायों की निधियाँ आदि), वित्त आयोग, खनिज विकास निधि, रायफल निधि, सांसद क्षेत्र विकास निधि, विधायक क्षेत्र विकास निधि आदि से करायी जा सकती है। इसके साथ ही साथ अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन, प्रबन्धन व गोवंश के भरण-पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा यथासंभव अपने-स्वयं के संसाधनों से की जायेगी। गोवंश के भरण-पोषण में निकायों में उपलब्ध संसाधनों में कमी के दृष्टिगत अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर संबन्धित स्थानीय निकाय की मींग पर शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु उपलब्ध धनराशि से वित्त पोषण किया जायेगा। घर्षा के मध्य विशेष सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगमों में स्थापित गो-आश्रय स्थलों में सरक्षित गोवंश के भरण-पोषण हेतु वित्तीय सहायता नगर विकास विभाग द्वारा सीधे नगर निगमों को उपलब्ध करायी जाती है। इसी क्रम में प्रमुख सचिव, पशुधन, उ0प्र0 शासन द्वारा अवगत कराया गया कि पशुपालन विभाग के आय-व्ययक में गोवंश के भरण-पोषण हेतु प्राविधानित धनराशि ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित गोवंश आश्रय स्थलों में सरक्षित गोवंश के भरण-पोषण में व्यय किए जाने हेतु जिलाधिकारियों के स्तर पर खोले गये बैंक खाते में उनकी मींग तथा पूर्व में दी गयी धनराशि के सापेक्ष प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर हस्तान्तरित की जाती है।

(कार्यवाही-ग्राम्य विकास विभाग/पंचायति राज/नगर विकास/पशुपालन विभाग)

3- विभागवार आवंटित कार्यों के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 261/सैतीस-2-2018-5(53) /2018, 28 जनवरी, 2019 जिसके द्वारा गोवंश संरक्षण से संबन्धित परामर्शी मार्गनिर्देश निर्गत किया गया के प्रसार 2.1-(1) निराश्रित/बेसहारा पशुओं के चिन्हीकन हेतु निहित व्यवस्था यथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड में निम्नतम स्तर (यथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम/न्याय पंचायत स्तर व शहरी क्षेत्रों में नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के स्तर पर उपलब्ध फील्ड स्तरीय) के कार्मिकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम/मजरावार, मौहल्ला/वार्डवार पशुओं का चिन्हीकरण किया जाये तथा 2.1-(2) पशुओं का चिन्हीकन करते समय आयु, ब्यौत, लिंग आदि तथा यदि पशु स्वामी है तो, पशु स्वामी का नाम,

पता व दूसरा क्रमांक आदि अंकित किया जाये के संबंध में पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही-ग्राम्य विकास विभाग/पंचायति राज/नगर विकास)

4- शासनादेश संख्या 4324/सैतीस-2-2018-5(53)/2018, दिनांक 02 जनवरी, 2019 द्वारा गठित विभिन्न अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति का संज्ञान बैठक में लिया गया एवं निर्देशित किया गया कि विकास खण्ड स्तरीय बैठक एक माह में दो बार आयोजित की जाय तथा विकास खण्ड में निराश्रित गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा एवं भरण-पोषण से संबंधित कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण, मूल्यांकन करते हुए खण्ड विकास अधिकारी द्वारा समस्त संबंधित विभागों से समन्वय कराते हुए ससमय कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही-ग्राम्य विकास विभाग)

5- घर्षा के मध्य विशेष सचिव, पशुधन, उ०प्र० शासन द्वारा अवगत कराया गया कि नगर निगम, नगर पालिकाओं में कैटिल कैचर उपलब्ध है परन्तु प्रबन्धकीय/कार्य क्षेत्र में ही कार्य हेतु प्रयोग में लाए जा रहे हैं जबकि अधिकांश निराश्रित गोवंश ग्रामीण क्षेत्र में खुले में विचरण कर रहे हैं। इस संबंध में नगर विकास विभाग से जनपदवार उपलब्ध/क्रियाशील कैटिल कैचर की संख्या से पशुपालन विभाग को सूची उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गयी। नगर विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जनपदवार स्थापित गो-आश्रय स्थलों की संख्या एवं उनमें संरक्षित गोवंश की संख्या से अवगत कराए जाने हेतु पशुपालन विभाग से अपेक्षा की गयी। विस्तृत विचार-विमर्श उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा पंचायती राज विभाग से प्रथमतः सर्वाधिक निराश्रित गोवंश वाले 10 जनपदों यथा महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, झांसी, बांदा, बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, गाजीपुर एवं उन्नाव में पायलट के रूप में जिला पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कैटिल कैचर की व्यवस्था कराने हेतु निर्देश दिए गये। इस संबंध में यह भी अपेक्षा की गयी कि गोवंश को पकड़ने का कार्य इच्छुक सेवा प्रदाता संस्था के माध्यम से कराए जाने हेतु आउटसोर्स भी किया जाय ताकि कम समय में अधिक से अधिक निराश्रित गोवंश को संरक्षित कराया जा सके।

(कार्यवाही-पंचायति राज/पशुपालन विभाग)

6- गो-आश्रय स्थलों में गोवंश की सुरक्षा हेतु चौकीदारों/केयर-टेकर की व्यवस्था हेतु पंचायती राज विभाग द्वारा तत्काल सुसंगत शासनादेश निर्गत किया जाए तथा गोवंश को समय से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके इसके लिए संभावित बीमारियों के सामान्य लक्षणों के साथ-साथ संबंधित पशु चिकित्साधिकारी का मोबाईल नम्बरयुक्त वाल पेंटिंग करायी जाय। गोवंश की शत-प्रतिशत टैगिंग एवं टीकाकरण किया जाय।

(कार्यवाही-ग्राम्य विकास विभाग/पंचायति राज/नगर विकास/पशुपालन विभाग)

7- गोवंश आश्रय स्थलों को स्वावलम्बी बनाए जाने हेतु प्रख्यापित नीति के प्रस्तर-4 को बैठक में संज्ञान में लिया गया। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कतिपय आश्रय स्थलों में गोबर से लाग बनाने एवं अन्य मूल्य संवर्धन कार्य किए जा रहे हैं परन्तु उनकी संख्या एवं क्वालिटी अति न्यून है। बैठक में उपस्थित अपर आयुक्त, मनरेगा द्वारा इस कार्य को और गति प्रदान करने हेतु कहा गया।

(कार्यवाही-ग्राम्य विकास विभाग)

8- बैठक में प्रत्येक गोवंश आश्रय स्थलों में समुचित चारे, दाने की व्यवस्था, शीत ऋतु से गोवंश की सुरक्षा, ठण्ड से बचाव हेतु झूल/अलाय की व्यवस्था, शयानों से गोवंश की सुरक्षा, पीने हेतु स्वच्छ पानी आदि हेतु स्थानीय निकायों द्वारा समुचित प्रयत्न सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही-ग्राम्य विकास/पंचायती राज/नगर विकास)

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा अगली बैठक दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 को समय 11:30 बजे आयोजित किए जाने के निर्देश के साथ-साथ समस्त संबन्धित विभागों यथा- राजस्व, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज एवं नगर विकास विभाग के अपर मुख्य सचिवों को स्वयं प्रतिभाग करने की अपेक्षा की गयी।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Signed by विवेक कुमार
पाण्डेय
(दिनांक: 06 दिसम्बर 2021) 13:56:26
Responsible Officer

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-2

संख्या: 2328/सीसी-2-2021-5(53)/2018-टीसी5

लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, नगर विकास, उ०प्र० शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ०प्र० शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उ०प्र० शासन।
8. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

(विनोद कुमार द्विवेदी
अनु सचिव)

File No.37-2005/10/2022- -2-

1701/2023
 4/14/3/8/2023
 (अ.रि.)
 3/8/2023

याचिका संख्या 394/2020-22 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा एवं अन्य मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में विचार-विमर्श हेतु अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक-27.07.2023 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक-27.07.2023 को अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में याचिका संख्या 394/2020-22 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा एवं अन्य मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में जिलाधिकारी, जालौन एवं डा0 हरेन्द्र सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन द्वारा वर्चुअल माध्यम से तथा डा0 इन्द्रमणि, निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ, डा0 गोपेश श्रीवास्त, संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, पशुपालन विभाग द्वारा भौतिक रूप से प्रतिभाग किया गया। बैठक में विस्तृत विचार-विमर्श के उपरान्त सम्बन्धितों को निम्नवत निर्देश दिये गये:-

2- जिलाधिकारी, जालौन से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0) नई दिल्ली में योजित याचिका संख्या-394/2020-22 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा व अन्य एन0जी0टी0 से सम्बन्धित विचाराधीन मामले में विस्तृत चर्चा करते हुये यह निर्देशित किया गया कि गौ-आश्रय स्थलो से सम्बन्धित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानको को यथा संभव दिनांक 25.08.2023 तक पूर्ण कर लिया जायें।

3- जिलाधिकारी, जालौन को यह निर्देश दिये गये कि कमेटी गठित करके सभी गौ-आश्रय स्थलों में उपलब्ध आधारभूत सुविधा जैसे रोड, पानी निकास की व्यवस्था एवं गोबर निस्तारण आदि के सम्बन्ध में निरीक्षण कराकर रिपोर्ट तैयार करायी जायें।

4- निराश्रित गोवंशों के संरक्षण हेतु गो-आश्रय स्थलो की स्थापना ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में की गयी है, जिसका संचालन स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। गो-आश्रय स्थलों में निराश्रित गोवंशों को संरक्षित किया जाता है। गो-आश्रय स्थल व्यवसायिक प्रतिष्ठान नहीं है तथा यह किसी उद्यम अथवा उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। अतः इनमें किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट जल प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण की संभावना न्यूनतम है। गो-आश्रय स्थलो में यथासंभव केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी0पी0सी0वी0) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई0सी0ए0आर0) द्वारा निर्धारित गाईडलाइन का पालन किया जाता है।

5- गो-आश्रय स्थलो में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले गोबर को नियमित रूप से एकत्रित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये। गोबर पूर्णतः जैविक पदार्थ है तथा इसका प्रयोग कम्पोस्ट खाद, वर्मीकम्पोस्ट तथा गो कास्ट के रूप में सामान्यतः कर लिया जाता है। गो-आश्रय स्थलो में उत्सर्जित होने वाला गोमूत्र एवं गोबर को स्थानीय चारागाहों में खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। जिलाधिकारी जालौन द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद जालौन में 414 गो-आश्रय स्थल स्थापित है जिनमें औसतन 04 श्रमिक कार्यरत हैं जिनके द्वारा निराश्रित गोवंश के भरण-पोषण तथा गोबर इत्यादि की सफाई की जाती है। जिलाधिकारी, जालौन को निर्देशित किया गया कि कार्यरत श्रमिकों का वेतन रु0 7000/- प्रतिमाह निर्धारित किया जाय।

6- गो-आश्रय स्थलो में सभी अभिलेखों का रख-रखाव तथा चारा, भूसा की व्यवस्था पर्याप्त मात्र में रखे जाने के निर्देश दिये गये तथा यह भी निर्देशित किया गया कि गो-आश्रय स्थलों को संक्रमण मुक्त रखे जाने संबंधी दिशानिर्देश निर्गत करते हुये इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।

J361701/2023

7- जिलाधिकारी, जालौन को निर्देशित किया गया कि जनपद में उपलब्ध खनिज फण्ड, रायफल निधि व अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग गो-आश्रय स्थलों में शेड की मरम्मत, जल निकास हेतु नाली का निर्माण, इण्टर लाकिंग, खड्जा तथा भूमि का समतलीकरण आदि कार्य कराया जाय।

8. जिलाधिकारी, जालौन को यह निर्देश दिये गये कि स्थानीय इंजीनियरिंग कालेज, झांसी या अन्य किसी संस्था से कम से कम 10 गो-आश्रय स्थलों का सर्वे कराकर प्रदूषण संबंधी रिपोर्ट प्राप्त किया जाय।

Signed by शिव सहाय अवस्थी
(शिव सहाय अवस्थी)
Date: 03-08-2023 10:38:52
Signature: Approved

संख्या- 1865/सैंतीस-2-2023 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जालौन।
2. निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन।

आज्ञा से,

(दिनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

File No.37-2099/88/2022--2-

M/365185/2023

विशेष सचिव, पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 03.08.2023 को अपराह्न 12.30 बजे गा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विद्यार्थीन प्रकरणों के सम्बन्ध में वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वी०सी०) के माध्यम से आहुत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 03.08.2023 को विशेष सचिव, पशुधन विभाग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विद्यार्थीन प्रकरणों के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जालौन एवं मुख्य पशु चिकित्साधिकारी जालौन द्वारा प्रस्तुत मासिक से तथा डा० इन्द्रभनि निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, डा० गोपेश श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, डा० विजय कुमार वर्मा, उप निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा भौतिक रूप से प्रतिभाग किया गया। बैठक में विद्यार्थी-विमर्श के उपरान्त संबंधितों को निम्नवत निर्देश दिये गये -

- (1) गा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन०जी०टी०) नई दिल्ली में योजित वार्षिक संख्या- 394 / 2020-22 पुणेन्द्र कुमार बनाम खाण्ड विकास अधिकारी, कपौरा व अन्य एन०जी०टी० से सम्बन्धित विद्यार्थीन मामलों में दिनांक 27.07.2023 को अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में दिये गये दिशानिर्देश के अनुपालन में कृत कार्यवाही से अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ०प्र०शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10.08.2023 को आहुत होने वाली बैठक में अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।
- (2) गो-आश्रय स्थलों के सत्यापन हेतु मुख्य विकास अधिकारी जालौन को यह निर्देश दिया गया कि जनपद स्तरीय अधिकारियों से जनपद में स्थानित गोआश्रय स्थलों का सत्यापन करा लिया जाय।
- (3) गो-आश्रय स्थलों पर गोवर्शों के लिए समुचित चारा, भूसा, दाना, पानी तथा पानी के निकास आदि की व्यवस्था कराने एवं उसका सत्यापन कराये जाने के निर्देश दिये गये।
- (4) गो आश्रय स्थलों में गोवर्शों से उत्पन्न गोबर का उपयोग कम्पोस्ट खाद बनाने हेतु, मर्दों की व्यवस्था की जाय।
- (5) मुख्य विकास अधिकारी जालौन को यह निर्देश दिये गये कि स्थानीय इंजीनियरिंग कालेज झाली या अन्य किसी संस्था से कम से कम 10 गो-आश्रय स्थलों का सर्वे कराकर प्रदूषण समीची रिपोर्ट प्राप्त किया जाय। गो-आश्रय स्थलों में स्वतंत्रतः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी०पी०सी०पी०) तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई०सी०ए०आर०) द्वारा निर्गत गाईडलाइन का पालन किया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के अन्दर जिन गोशालाओं का सत्यापन नहीं किया गया है उनका सत्यापन करा लिया जाय।
- (6) मुख्य विकास अधिकारी जालौन को यह निर्देशित किया गया कि गोआश्रय स्थलों में कार्यरत श्रमिकों को रु० 7000 प्रतिमाह वेतन निर्धारित करते हुये उसका भुगतान किया जाये।

3/PALDAM/11.8.23
नोटे 3/0 (MGT)

10.8.2023

Signed by मुखदान सिंह
(मुखदान सिंह)
Date: 07-08-2023 15:55:06
संयुक्त सचिव।
Reason: Approved

उत्तर प्रदेश शासन,
पशुधन अनुभाग-2
संख्या 1906/सीसीस-2-2023
लखनऊ - दिनांक 07 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य विकास अधिकारी, जालौन, उ०प्र०।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. उप निदेशक, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन, उ०प्र०।

(विनाय कृष्ण द्विवेदी)
उप सचिव।

07/08/2023

याचिका संख्या 394/2020-22 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा एवं अन्य
माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन प्रकरणों के संबंध में अपर मुख्य सचिव, पशुधन
विभाग, उओप्रशासन की अध्यक्षता में दिनांक 10.08.2023 को अपरान्ह 12.30 बजे आयुक्त
समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक ससमय प्रारम्भ हुयी। उक्त बैठक में श्री शिव सहाय अवस्थी, विशेष सचिव, पशुधन विभाग, उओप्रशासन, डा0 सतीश अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, गौशाला, पशुपालन विभाग, डा0 विजय कुमार वर्मा, उप निदेशक, पशुपालन विभाग तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी, जालौन एवं डा0 हरेन्द्र सिंह, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन द्वारा प्रतिभाग किया गया। माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनओजीओटीओ) से संबंधित बिन्दुओं पर विचार-विमर्श के उपरान्त निम्नवत निर्देश दिये गये:-

1- उक्त प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उओप्रशासन द्वारा यह निर्देश दिये गये कि विशेष सचिव, श्री शिव सहाय अवस्थी की अध्यक्षता में शासन स्तर पर एक कमेटी गठित कर ली जाय, जिसमें अपर निदेशक, गोधन, डा0 जयकेश पाण्डेय, अपर निदेशक, ग्रेड-2, अयोध्या, श्री अरविन्द्र कुमार सिंह एवं सदस्य सचिव, उओप्रओ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा नामित प्रतिनिधि को सदस्य नामित कर दिनांक 14.08.2023 को प्रथम बैठक कर ली जाय, जिसमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीओपीओसीओपीओ) एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईओसीओएओआरओ) की गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुये गो-आश्रय स्थलों के पर्यावरणीय मानकों के संबंध में गाइडलाइन्स बनायी जाय। यह कार्य दिनांक 17.08.2023 तक पूर्ण कर लिया जाय। दिनांक 21.08.2023 को उक्त गाइडलाइन्स को अपर मुख्य सचिव महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाय।

2- जिलाधिकारी, जालौन द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में संचालित सभी गो-आश्रय स्थलों का 82 नोडल अधिकारियों की टीम द्वारा सत्यापन का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उओप्रशासन द्वारा निर्देश दिये गये कि सत्यापन रिपोर्ट का विश्लेषण कर लिया जाय एवं परिलक्षित कमियों को एक सप्ताह में पूर्ण करा लिया जाय। सत्यापन रिपोर्ट गो आश्रय स्थलों से सम्बन्धित विभागीय पोर्टल पर भी अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय। गो आश्रय स्थल पर संरक्षित गोवंश का शत-प्रतिशत स्वास्थ्य परीक्षण कर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करायी जाय। खण्ड विकास अधिकारियों एवं उप जिलाधिकारियों की निरीक्षण आख्यायें भी पोर्टल पर अपलोड करायी जाय।

3- अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उओप्रशासन द्वारा जनपद-जालौन को मोबाइल ऐप का प्रशिक्षण सभी पशु चिकित्साधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारियों, सचिव, ग्राम पंचायत, लेखपालों आदि को दिये जाने के निर्देश दिये गये ताकि पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने में सुविधा हो सके।

4- गो-आश्रय स्थलों पर उत्पादित गोबर की इन्वेंट्री तैयार करायी जाय, जिनमें सीधे गोबर की बिक्री, कम्पोस्ट, वर्मी, कम्पोस्ट व अन्य गोबर उत्पादों की बिक्री से हुयी आय को अलग-अलग गो-आश्रय स्थलवार अंकित की जाय।

5- जिलाधिकारी, जालौन द्वारा अवगत कराया गया कि इन्जीनियरिंग कालेज, झांसी में कोई प्रदूषण सम्बन्धी सर्वे नहीं किया जाता है। अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) जालौन द्वारा करायी गयी जाँच में जल प्रदूषण गो-आश्रय स्थलों में नहीं पाया गया है। इस पर अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि इन्जीनियरिंग कालेज (एचओबीओटीओआईओ) कानपुर से सम्पर्क कर प्रदूषण की जांच करा ली जाय, जिसमें वीओओडीओ, सीओओडीओ, यूरिया व अन्य कैमिकल्स से जनित प्रदूषण की जांच करा ली जाय।

6- जिलाधिकारी, जालौन द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में शासन एवं जिला स्तर से एक ही शासकीय अधिकारिता को नामित किये जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उओप्रशासन द्वारा सहमति व्यक्त की गयी तथा यह निर्देश दिये गये कि जिला प्रशासन, जालौन एवं

निदेशालय के संबंधित अधिकारी उक्त अधिवक्ता से सम्पर्क कर मामले में विचार-विमर्श कर अग्रततर कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करें।

7- इस सम्बन्ध में अगली बैठक दिनांक 22.08.2023 को अपराह्न 12:30 बजे निर्धारित की गयी। अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-2
संख्या-1978 / सैंतीस-2-2023
लखनऊ :: दिनांक 21 अगस्त, 2023

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- जिलाधिकारी, जालौन, उत्तर प्रदेश।
 - 2- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 3- संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ / नोडल अधिकारी, पशुपालन निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 4- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन, उत्तर प्रदेश।

Signed by ^{अश्विनी कुमार}
द्विवेदी

Date: 21/08/2023 15:26:17

उप सचिव।
Reason: Approved

याचिका संख्या 394/2020-22 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी, कदोरा एवं अन्य मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचारार्थीन प्रकरणों में समकाल-समय पर पारित आदेशों के काम में निर्गत गाइड लाइन का अध्ययन कर ड्राफ्ट तैयार किये जाने हेतु गठित समिति की विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 14.08.2023 को आयुक्त समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त-

उपस्थिति-

क्र०स०	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	डा० जगदीश कुमार पाण्डेय	अपर निदेशक, गोधन, मुख्यालय
2	डा० अरविन्द कुमार सिंह	अपर निदेशक ग्रेड-2, अयोध्या मण्डल अयोध्या
3	श्री राजेन्द्र सिंह	मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
4	डा० सतीश कुमार अग्रवाल	संयुक्त निदेशक, गौशाला, मुख्यालय
5	डा० ओ०पी० सोनकर	संयुक्त निदेशक, पशुपोषण/नोडल अधिकारी कोर्ट-केस, मुख्यालय

बैठक संराम्य प्रारम्भ हुई। बैठक में याचिका संख्या 394/2020-22 पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी, कदोरा में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा आई०सी०ए०आर० द्वारा निर्गत गाइड लाइन पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

2. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइड लाइन में डेयरी फार्म एवं गौशालाओं में वेस्ट मैनेजमेंट (Waste Management) के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जो कि बाध्यकारी प्रकृति के हैं, जबकि इस सम्बन्ध में आई०सी०ए०आर० द्वारा परामर्शी मार्गनिर्देश निर्गत किये गये हैं।

3. डेयरी फार्म पूर्णतया व्यवसायिक होते हैं। गौशालाओं का संचालन निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जिनमें बीमार, घायल, विकलांग गोवंशों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। उक्त दोनों संस्थाएं स्थायी प्रकृति की हैं। ऐसी स्थिति में डेयरी फार्म एवं गौशालाओं में केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड तथा आई०सी०ए०आर० द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरार वेस्ट मैनेजमेंट किया जाना आवश्यक है।

4. प्रदेश में निराश्रित गोवंशों की बढ़ती संख्या के समाधान हेतु वर्ष 2018-19 में सरकार द्वारा अस्थायी गो आश्रय स्थलों का निर्माण कराकर निराश्रित गोवंशों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इस हेतु शासनादेश दिनांक 02.01.2019 द्वारा अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। अस्थायी पशु अतिचार अधिनियम-1871 (संशोधित 21 अगस्त, 1996) में निहित प्राविधान व पशुओं के प्रति क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा-4 के अधीन स्थापित भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश सं-9-3/2018-19/पी०सी०ए० दिनांक 12.07.2018 के अनुसार निराश्रित पशुओं का संरक्षण एवं भरण-पोषण की जिम्मेदारी स्थानीय स्तर पर है। स्पष्टतया उक्त आश्रय स्थल नितान्त ही अस्थायी प्रकृति के हैं। अतः इनमें

79/PA/BAH/22-08-23
नीचे 350(A) (AT)

21.8.2023

799

File No.37-2005/10/2022- -2-

1/371884/2023

केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड तथा आई०सी०ए०आर० द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार वेस्ट मैनेजमेंट किया जाना आवश्यक नहीं है।

5 सम्यक दिचारोपरान्त निम्नानुसार मत स्थिर हुआ-

- (1) प्रदेश में स्थापित/संचालित डेयरी फार्म एवं गौशालाओं में केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड तथा आई०सी०ए०आर० द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाय।
- (2) अस्थायी गो आश्रय स्थलों में शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था लागू की जाय। अंत में वैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-2
संख्या-2024/सैंतीस-2-2023
लखनऊ - दिनांक 21 अगस्त, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1 डा० जयकेश कुमार पाण्डेय, अपर निदेशक, मोधन, मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 2 डा० अरविन्द कुमार सिंह, अपरनिदेशक ग्रेड-2, अयोध्या मण्डल अयोध्या।
- 3 श्री राजेन्द्र सिंह, मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
- 4 डा० सतीश कुमार अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, गौशाला, मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 5 डा० ओ०पी० सोनकर, संयुक्त निदेशक, पशुपोषण/नोडल अधिकारी कोर्ट-कंस मुख्यालय।

आज्ञा से,
Signed by हरपवन सिंह
Date: 21-08-2023 10:52:33
(सत्यवान सिंह)
संयुक्त सचिव।

Go Shals should comply the Guideline of spec

380979/2023

11/8/23 श्री शक्ति शेरन
04-09-2023

रिट याचिका संख्या 394/2022, श्री पुष्पेन्द्र कुमार बनाम खण्ड विकास अधिकारी, कदौरा एवं अन्य मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचारोद्दीन प्रकरण के संबंध में अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ0प्र0शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.08.2023 को संपन्न बैठक का कार्यवृत्त:-

उपरिस्थिति-

1. डा0 इन्दमनि, निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. डा0 जयकेश पाण्डेय, अपर निदेशक, गोधन, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. डा0 सतीश अग्रवाल, संयुक्त निदेशक, गोशाला, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. डा0 ओम प्रकाश, संयुक्त निदेशक, न्यूट्रीशन (नोडल, कोर्ट केस) पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

बैठक ससमय प्रारम्भ हुई। जिलाधिकारी, जालौन द्वारा जूम लिंक के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया गया। जिलाधिकारी, जालौन को कृत कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं आगामी 15 दिवस हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। प्रश्नगत वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दिनांक 02.09.2023 को उत्तर दिया जाना है। अतः जनपद जालौन में संचालित गौ आश्रय स्थल के नोडल अधिकारी द्वारा किए गये सत्यापन के आधार पर दिनांक 25.08.2023 तक रिपोर्ट तैयार कर ली जाए।

2- जिलाधिकारी, जालौन द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में 407 गौ आश्रय स्थल संचालित हैं, इन गौ आश्रय स्थलों से उत्पादित होने वाले गोबर का निस्तारण उचित ढंग से किया जा रहा है। जिलाधिकारी, जालौन को दिनांक 15.09.2023 तक गो संरक्षण हेतु प्रस्तुतीकरण तैयार कराने के निर्देश दिए गये, जिससे अन्य जनपद भी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। जनपद कानपुर स्थित एच0बी0टी0आई0 प्रौद्योगिक संस्थान से मृदा एवं जल परीक्षण कराकर बी0ओ0डी0 एवं सी0ओ0डी0 की रिपोर्ट दिनांक 25.08.2023 तक उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रश्नगत वाद में तत्काल शासकीय अधिवक्ता नामित कराने के भी निर्देश दिये गये।

3- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन्स के साथ विभागीय नीति की तुलनात्मक तालिका बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित गौ आश्रय स्थलों के पर्यावरणीय प्रभाव के संबंध में गाइडलाइन्स तैयार किये जाने के निर्देश दिए गये। ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित गौ आश्रय स्थलों का निर्माण व प्रबंधन पंचायतीराज विभाग द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में नगर विकास विभाग द्वारा किया जाता है। नगरीय तथा उप नगरीय क्षेत्रों में गौ आश्रय स्थलों में छोटे बायो गैस प्लांट लगे हैं। 100 गोवंश से कम गौ आश्रय स्थलों पर उत्पादित गोबर आदि का उपयोग गौ आश्रय स्थल पर ही हो जाता है। 100 से अधिक संख्या वाले गौ आश्रय स्थलों पर कंपोस्टिंग/वर्मीकंपोस्टिंग की जाती है जो एक जैविक प्रक्रिया है इससे वायु एवं जल प्रदूषण नहीं होता है।

4- बैठक में पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु स्थानीय ग्राम पंचायतों/नगर निकायों/ जिलाधिकारी/पशु चिकित्साधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु गाइडलाइन्स निर्गत किये जाने तथा पशु चिकित्साविदों को बायोमैडिकल वेस्ट को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निर्गत गाइडलाइन्स के अनुसार निस्तारित कराने के साथ-साथ आहार संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किये जाने एवं गौ आश्रय स्थलों को आबादी से 100 मीटर तथा बाड़ संभावित क्षेत्रों में जल स्रोत से 500 मी0 की दूर 25 निर्मित कराये जाने के निर्देश दिए गये।

5- ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित गौ आश्रय स्थलों का अनुश्रवण क्षेत्र पंचायत एवं जिलाधिकारी द्वारा किये जाने तथा नगरीय क्षेत्रों में संचालित गौ आश्रय स्थलों से संबंधित गाइडलाइन्स हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास व निदेशक, स्थानीय निकाय को पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिए गये।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Signed by देवेन्द्र कुमार
गांधेय

(देवेन्द्र कुमार 2023/08/24/2:47)
Regional Asst. Secy

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-2

संख्या / सैंतीस-2-2023


लखनऊ :: दिनांक सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- जिलाधिकारी, जालौन, उत्तर प्रदेश।
- 2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, गोधन, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- संयुक्त निदेशक, गोशाला, पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- संयुक्त निदेशक, न्यूट्रीशन (नॉडल, कोर्ट केस) पशुपालन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।


आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।



बीमार गौवंशों हेतु टीन शैड Sick Care Unit

गोवण केयर सेण्टर
11-03-2023 13:45



बछड़ा / बछिया गौवंशीं हेतु टीन शैड




मादा गौवंशों हेतु टीन शैड

805



बायोगैस संयंत्र



गौपालकों द्वारा गोबर को एकत्र करते हुए




गौपालकों द्वारा गोबर बायोगैस संयंत्र में डालते हुए



OPPO F11 Pro

809

41



गोबर मण्डारण कक्ष


गोबर मण्डारण कक्ष

810



नर गौवंशों हेतु टीन शैड


811



Powered by NoteCam


Latitude: 26.166727
 Longitude: 79.332484
 Elevation: 162.64±7 m
 Accuracy: 11.6 m
 Time: 09-08-2023 12:42
 Note: kanha gushlia jalaun

खडण्जा युक्त पक्का फर्श



GPS Map Camera

Beriabujurg, Uttar Pradesh, India
 Gursahaiganj - Jalaun Rd, Beriabujurg,
 Uttar Pradesh 285123, India
 Lat 26.166692°
 Long 79.333104°
 05/07/23 09:50 AM GMT +05:30




GPS Map Camera

Beriabujurg, Uttar Pradesh, India
 Gursahaiganj - Jalaun Rd, Beriabujurg,
 Uttar Pradesh 285123, India
 Lat 26.166692°
 Long 79.333104°
 05/07/23 09:50 AM GMT +05:30



वर्मी कम्पोस्ट प्लान्ट



टैंक से स्लज निकालते हुए सक्शन मशीन

815



एफ0एस0टी0पी0 प्लांट में अपशिष्ट का निस्तारण

Latitude: 26.166724
Longitude: 79.331881
Elevation: 148.95±19 m
Accuracy: 33.2 m
Time: 11-03-2023 14:28
Note: bhosa


श्री रविन्द्र सिंह
शा. विकिसकसक
21011031

पशु विकिसक कक्ष

Powered by NotCam

पशु विकिसक कक्ष

Latitude: 26.166896
Longitude: 79.331994
Elevation: 139.13420 m
Accuracy: 35.1 m
Time: 11-03-2023 13:38
Note: cctv




दवा कक्ष

Powered by NoteCam

अढगाढा






शुद्ध वातावरण हेतु वृक्ष



माननीयों द्वारा गौशाला में वृक्षारोपण करते हुए

821

Latitude: 26.16685
 Longitude: 79.331693
 Elevation: 135.92±11 m
 Accuracy: 10.7 m
 Time: 11-03-2023 13:43
 Note: green belt



Powered by NoteCam

शुद्ध वातावरण हेतु वृक्ष

Latitude: 26.166837
 Longitude: 79.331661
 Elevation: 139.07±6 m
 Accuracy: 20.2 m
 Time: 11-03-2023 13:42
 Note: green belt



Powered by NoteCam



GPS Map Camera

बेरिअबुजुर्ग, उत्तर प्रदेश, भारत

गुर्सहिंगंज - जलौन मार्ग, बेरिअबुजुर्ग, जालौन, उत्तर प्रदेश 285123, भारत

Lat 26.166857°

Long 79.332571°

09/08/23 02:23 PM GMT +05:30

Google

हरा चारे का प्रबन्ध


 GPS Map Camera


बेरिअबुजुर्ग, उत्तर प्रदेश, भारत

गुर्सहैगंज - जलीन मार्ग, बेरिअबुजुर्ग, जालौन, उत्तर प्रदेश 285123, भारत


Lat 26.166857°

Long 79.332571°



09/08/23 02:40 PM GMT +05:30


 Google

गौवंश हरा चारा ग्रहण करते हुए



सर्दी से बचाव हेतु व्यवस्था



सर्दी से बचाव हेतु अलाव की व्यवस्था

गर्मी से बचाव हेतु हरी नेट की व्यवस्था



827



गर्मी से बचाव हेतु गौवंशों को स्नान कराते हुए

-Annexure - 4

संशोधित प्रारूप

प्रदेश के गौवश आश्रय स्थलो में संरक्षित निराश्रित/बेसहारा गौवश के भरण पोषण हेतु भूसा संग्रहण अभियान (15 मार्च से 15 मई 2023 तक) निर्धारित लक्ष्य

दिनांक:- 13.07.2023

जनपद-जालौन

क्र.मा.क्र.	जनपद का नाम	संरक्षित गौवश की संख्या	भूसे की कुल आवश्यकता (कु0में)	दान से भूसा संग्रह लक्ष्य (कु0में)	दान में प्राप्त भूसा (कु0में)		दान का पूर्ति प्रतिशत	भूसा क्य (कु0में)		कुल भूसा संग्रहण (+10)	क्य का पूर्ति प्रतिशत	स्थापित भूसा डैलो की संख्या	टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण/अपूर्ण
					दैनिक	कमिक		दैनिक	कमिक				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	जालौन	37007	578233	173470	0.00	73793.73	42.54	91.00	223062.10	296855.83	51.34	45	प्रक्रियाधीन

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी

जनपद-जालौन

दिनांक-13-07-2023

जनपद में स्थापित गौशालाओं में नैपियर घास/हरा चारा की उपलब्धता का विवरण।					
क्र०सं०	वि०ख० का नाम	गोवंश आश्रय स्थल की संख्या	नैपियर घास बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	बरसीन/चरी/ज्वार बुवाई का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	योग
1	2	3	4	5	
1	जालौन	39	12.751	27.959	40.710
2	कुठौन्द	33	5.763	3.8	9.563
3	रानपुरा	20	4.27	5.55	9.820
4	नदीगाँव	51	5.710	7.784	13.494
5	माधीगढ	20	5.31	2.81	8.120
6	डकोर	62	20.59	40.55	61.140
7	कौच	60	6.449	3.402	9.851
8	महेवा	51	18.27	2.98	21.250
9	कदौरा	47	9.315	3.728	13.043
	योग	383	88.428	98.563	186.991




 मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
 जनपद जालौन

पशु चिकित्सालयवार गौशालाओं का आवंटन का विवरण

क्र०सं०	पशु चिकित्सालय का नाम	गौशाला की संख्या
1	महेवा	19
2	न्यामतपुर	20
3	बाबई	13
4	कदौरा	18
5	कालपी	12
6	आटा	24
7	कुठौन्द	35
8	जालौन	41
9	रामपुरा	22
10	नदीगांव	25
11	बंगरा	23
12	भेड़	6
13	माधौगढ़	18
14	गोहन	5
15	डकोर	65
16	उरई सतर	2
17	कौच	33
18	एट	33
कुल योग:-		414



मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-जालौन।

जनपद में पशु चिकित्सालय एवं गौ आश्रय स्थलों का विवरण

जनपद-जालौन।

क्र०सं०	पशु चिकित्सालयों की संख्या	अस्थाई गौ आश्रय स्थलों की संख्या	स्थाई गौ आश्रय स्थलों की संख्या	कान्हा गौशाला की संख्या	कांजी हाउस की संख्या	कुल गौशालाओं का योग
1	2	3	4	5	6	8
1	18	382	7	7	18	414





मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-जालौन।

बैक्सीन प्राप्त एवं उपयोग का विवरण - मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जालौन स्थान उरई

क्र०सं०	बैक्सीन का नाम	वर्ष 2022-2023 बैक्सीन प्राप्त एवं उपयोग का विवरण		वर्ष 2023-2024 बैक्सीन प्राप्त एवं उपयोग का विवरण			
		बैक्सीन वर्ष 2022-2023	उपयोग बैक्सीन वर्ष 2022-2023 (माह मार्च, 2023)	प्रतिशत	बैक्सीन वर्ष 2023-2024	उपयोग बैक्सीन वर्ष 2023-2024 (माह सितम्बर, 23)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एच०एस०	455000	455000	100%	450000	450000	100%
2	एफ०एम०डी०	477600	477600	100%	-	-	-
3	Goat Pox (LSD)	190000	190000	100%	55300	55300	100%

832

नोट :- जनपद जालौन में अस्थाई/स्थायी गोशाला, कन्हा गोशाला एवं कांजी हाउस गोशाला में 32100 एल० एस० डी० बैक्सीन का टीकाकरण किया गया ।


 मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
 जालौन स्थान उरई



गौवंश के उपचार हेतु आवश्यक दवायें



पशु चिकित्सक द्वारा गौवंश का उपचार एवं टीकाकरण




गौवंश के उपचार हेतु पशु चिकित्सालय




बीमार एवं घायल गौवंश के उपचार हेतु पृथक कक्ष

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a page number or reference, which is mostly illegible due to blurring.



Latitude: 26.166607
 Longitude: 79.332319
 Elevation: 145.11±48 m
 Accuracy: 112.6 m
 Time: 02-21-2023 10:51
 Note: deepak


पशु चिकित्सक द्वारा गौवंशों का उपचार



Latitude: 26.166725
Longitude: 79.333016
Elevation: 140.91±16 m
Accuracy: 18.4 m
Time: 02-01-2023 15:15
Note: deepak

पशु चिकित्सक द्वारा गौवंशों का उपचार

Powered by NoteCam



वैक्सीनेशन

कार्यालय मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जालौन स्थान उरई

शंक - 511 / गो आश्रय स्थल / 2022-23

दिनांक - 03-6-2022

1- समस्त खण्ड विकास अधिकारी

जनपद जालौन।

02- समस्त उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी /
पशु चिकित्साधिकारी

जनपद जालौन।

विषय - बुन्देलखण्ड में गोबर (आर्गेनिक) आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आयुक्त महोदय झांसी मण्डल झांसी की अध्यक्षता में दिनांक 25.05.2022 को आयोजित मण्डलीय बैठक में निर्देश दिये गये कि बुन्देलखण्ड में ग्राम पंचायतों में स्थिति गौशालाओं के समीपस्थ किसानों को जैविक खेती करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये तथा नजदीकी गौशालाओं से खाद की व्यवस्था कराई जाये तथा प्रत्येक विकास खण्ड से जैविक खेती करने वाले 5-5 कृषकों की सूची जिलाधिकारी महोदय को उपलब्ध कराये।

उक्त के संबंध में आपको अवगत कराना है कि गौशालाओं के नजदीक किसानों को जैविक खेती कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाये एवं अपने-अपने विकास खण्ड से जैविक खेती करने वाले 5-5 कृषकों की सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये जिससे जिलाधिकारी महोदय को सूची उपलब्ध कराई जा सके।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जालौन स्थान उरई

पत्रांक - 511 / उक्त / 2022-23

दिनांक - 03-6-2022

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- मुख्य विकास अधिकारी जालौन स्थान उरई।

02- जिलाधिकारी महोदय, जालौन स्थान उरई की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

03- अपर निदेशक ग्रेड-2 पशुपालन विभाग झांसी मण्डल झांसी।

मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी
जालौन स्थान उरई

प्रेषक,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जनपद जालौन।

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी
जनपद जालौन।

पत्रांक - 1827 / गो आश्रय स्थल / गोबर गैस प्लांट / 2022-23 दिनांक - 04.11.2022
विषय-जनपद में स्थापित गोबर गैस प्लांटों को क्रियाशील करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद में स्थापित गोवंश वन्य विहार चमारी विकास खण्ड कदौरा, गोवंश वन्य विहार ऐवरा विकास खण्ड नदीगांव, गो आश्रय स्थल मुहाना विकास खण्ड डकोर एवं कान्हा गौशाला जालौन में लगाये जा रहे गोबर गैस प्लांट में से केवल गोवंश वन्य विहार चमारी का गोबर गैस प्लांट क्रियाशील है।

कृपया आप गोबर गैस प्लांट ऐवरा विकास खण्ड नदीगांव, गो आश्रय स्थल मुहाना विकास खण्ड डकोर एवं कान्हा गौशाला जालौन में लगाये जा रहे गोबर गैस प्लांटों को अविलम्ब क्रियाशील कराने का तथा अद्यतन स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें। ताकि सूचना जिलाधिकारी महोदया को प्रेषित की जा सके।


मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जनपद जालौन

पत्रांक - 1827 / उक्त / 2022-23 दिनांक 04.11.2022
प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- मुख्य विकास अधिकारी, जनपद जालौन।

02- जिलाधिकारी महोदया, जनपद जालौन की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।


मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
जनपद जालौन

पत्रांक 347 / एसटी-सीडीओ/विविध पत्र/23-24
 अधिशासी अभियन्ता,
 जल निगम,
 जनपद-जालौन।

कार्यालय-मुख्य विकास अधिकारी, जनपद जालौन।

दिनांक 27 जुलाई, 2023

जिलाधिकारी महोदया द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के 05-05 गोशालाओं और उसके 500 मीटर के अगल-बगल का पानी टेस्ट करा लिया जाये और इसी प्रकार नगर पंचायत में कोच और जालौन की गोशालाओं का पानी और उसके 500 मीटर अगल-बगल का पानी टेस्ट करा लिया जाये कि वहाँ का पानी प्रदूषित तो नहीं है? इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है उपरोक्तानुसार स्थलों का पानी टेस्ट कर लें तथा इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि वहाँ का पानी प्रदूषित तो नहीं है। वांछित सूचना दो दिवस के अन्दर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। कृपया इसे प्राथमिकता दी जाये।

(भीमजी उपाध्याय)
 मुख्य विकास अधिकारी
 जनपद-जालौन।

प्रमाणित :-

दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-जिलाधिकारी महोदया, जनपद जालौन की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

J.E. Lab / Lab Assi
 EE

J.E. Lab / Lab Assi

प्रमाणित :-

नादिनहा

21.07.23

28.07.23
 EE

मुख्य विकास अधिकारी
 जनपद-जालौन।



840

Annexure-7 A

अधिशायी अभियन्ता खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), जालौन (उरई)।

Email Add.- ceoraidiv@gmail.com, Ph. (0) 05162-258025

पत्रांक 2213 / M-16 / 20

दिनांक- 28-9-2023

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
जनपद-जालौन।**विषय:-** जल परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 347/एस०टी०-सी०डी०ओ०/विविध पत्रा०/2023-24 दिनांक 27.04.2023 के अनुपालन में विकास खण्ड डकोर के ग्राम कुइया, बड़ागांव, भडोरा, बोहदपुरा एवं इकलासपुरा में गौशालाओं एवं 500 मीटर के आस-पास के क्षेत्र और उपरोक्तानुसार नगर पालिका परिषद कोंच एवं जालौन के गौशालाओं के पानी के नमूनों की जल परीक्षण रिपोर्ट आपके कार्यालय हेतु सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:- जल परीक्षण रिपोर्ट प्रमाण पत्र।

भवदीय

+

(ए०के० गुप्ता)

अधिशायी अभियन्ता

प्र०स० व दिनांक-यथोपरिप्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी महोदय, जनपद-जालौन।

2-सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/जूनियर इंजीनियर।

+

अधिशायी अभियन्ता

841

अधिशायी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), जालौन।

Email Add.- eeoraidiv@gmail.com, Ph. (O) 05162-258025

पत्रांक २१०६ / म-१६ / २९ दिनांक- १९-८-२०२३

सेवा में

मुख्य विकास अधिकारी
जनपद-जालौन।

विषय- जल परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।
महोदय,

सम्बन्धित विषयक WQMS पोर्टल से प्राप्त विकासखण्ड डकोर के ग्राम इटका जालौन, दादरी, ऐधा, वनफरा एवं धीरसी में गौशालाओं के पानी के नमूनों की जल परीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर आपके कार्यालय हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-जल परीक्षण रिपोर्ट प्रमाण पत्र।

(१०के० गुप्ता)
अधिशायी अभियन्ता

प्र०सं० व दिनांक-यथापरी

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जालौन।
2. सम्बन्धित सह-यक अभियन्ता/ जूनियर इंजीनियर।

अधिशायी अभियन्ता

842

अधिकाारी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय

उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण), जालौन।

Email Add.- eeoraidiv@gmail.com, Ph. (O) 05162-258025

पत्रांक 2417 / म-16 / 31 दिनांक- 21-08-2023

सेवा में

मुख्य विकास अधिकारी
जनपद-जालौन।

विषय-
महोदय,

जल परीक्षण रिपोर्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक WQMS पोर्टल से प्राप्त विकासखण्ड कुटीन्द के ग्राम कैथवा, भदख छिवारा, दीन, चीथ, बस्तेपुर विकासखण्ड जालौन के ग्राम अकोड़ी, भदवा, छिरिया सलेमपुर, धनीरा कलां, पहाडपुरा विकासखण्ड महेवा के ग्राम भगीरा, बावई, अटरा कलां, पाल, बीजापुर विकासखण्ड रामपुरा के ग्राम मजीठ, मधौली, जमरेही सानी, जावघा, महाराई विकासखण्ड फोंघ के ग्राम भदारी, बन्दुर्चा, वैरागढ़ अमीटा, रागड़ अमीटा, जखौली, पचीपुरी विकासखण्ड कदीरा के ग्राम चमारी अकबरपुर, चसरही, इकौना एवं रेला में गीशालाओं के पानी के नमूनों की जल परीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर आपके कार्यालय हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-जल परीक्षण रिपोर्ट प्रमाण पत्र।

(ए०के० गुप्ता)
अधिकाारी अभियन्ता

पुठसं व दिनांक-यथोपरि

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूधनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, जालौन।
2. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/ जूनियर इंजीनियर।

अधिकाारी अभियन्ता

843



WATER TESTING LABORATORY

Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

Chemical analysis of Water

Report No. _____ Date _____
 Village/Town सुभासपुरा Code No. _____ Block कोर Dist. Jalaun
 Water Source खसपुय नार Location जिलापुरा
 Name & Designation Of Sample Collector कोरामा सुभासपुरा
 Date of Analysis _____

S.No.	Physical Examination	Unit	Test Result	Indian Standard	
				Disirable limit	Permissable limit
A					
1-	Turbidity NTU	NTU	2	1	5
2-	Colour	"		5	25
3-	Odour	"			
4-	pH Value	"	7.0	7.0 to 8.5	<6.5 to >9.2
5-	Total dissolved solids	ppm		500	2000
B	Chemical Analysis in	ppm			
6-	Total Hardness as (CaCO ₃)	"	280	200	600
a-	Calcium as (Ca)	"		75	200
b-	Magnesium as (mg)	"		30	100
7-	Chlorides as (Cl)	"	310	250	1000
8-	Sulphates as So ₄	"	220	200	400
9-	Fluorides as (F)	"	1.2	1.0	1.5
10-	Nitrates (NO ₃)	"	0	45	1.0
11-	Nitrite (NO ₂)	"	0.1	0.1	0.3
12-	Iron as (Fe)	"	0.1	0.2	1.0
13-	Residual Chlorine	"			
14-	Alkalinity as (CaCO ₃)	"			
a-	Phenolphtheline	"		200	600
b-	Methyl Orange	"		0.01	0.05
15-	Arsenic as (As)	Microgram		0	0
16-	Conductivity	"		0	0
17-	Preceence (By H ₂ S Strip)	"			
18-	E-Coli (MPN) 100ml	"			
19-					
20-					
21-					
22-					

Test Result Satisfactory
 Remarks _____

मनीष कुमार
 Chemist

844

70



WATER TESTING LABORATORY

Oral Khari U.P. Jal Nigam, Ghazipur
Chemical analysis of Water

Report No. - 11 Date 02/11/20
 Village/Town बुधगाँव Code No. 201 Block बुधगाँव
 Water Source खेत Location बुधगाँव
 Name & Destination Of Sample Collector हरि राय बुधगाँव

S.No.	Physical Examination	Unit	Test Result	Indian Standard	
				Disturbance	Permissible Limit
A					
1.	Turbidity NTU	NTU	3	1	5
2.	Colour	-	-	5	15
3.	Odour	-	-	+	3
4.	pH Value	-	7.6	7.0 to 8.5	6.5 to 8.5
5.	Total dissolved solids	ppm	-	500	2000
B	Chemical Analysis in	ppm			
6.	Total Hardness as (CaCO ₃)	-	170	200	600
a.	Calcium as (Ca)	-	-	75	200
b.	Magnesium as (Mg)	-	-	30	100
7.	Chlorides as (Cl)	-	310	250	1000
8.	Sulphates as (SO ₄)	-	160	300	400
9.	Fluorides as (F)	-	1.1	1.0	1.5
10.	Nitrates (NO ₃)	-	0	45	100
11.	Nitrite (NO ₂)	-	0	0.1	1.0
12.	Iron as (Fe)	-	0.2	0.1	0.3
13.	Residual Chlorine	-	-	0.2	1.0
14.	Alkalinity as (CaCO ₃)	-	-	-	-
a.	Phenolphthaleine	-	-	200	500
b.	Methyl Orange	-	-	0.01	0.05
15.	Arsenic as (As)	Micro	-	-	-
16.	Conductivity	-	-	0	0
17.	Presence (By H ₂ S Strip)	-	-	0	0
18.	E-Coli (MPN) 100ml	-	-	-	-
19.					
20.					
21.					
22.					

Test Result Satisfactory
 Remarks J.E.

मनीष कुमार
 Chemist



WATER TESTING LABORATORY

Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

Chemical analysis of Water

Report No. _____ Date _____
 Village/Town मसौरा Code No. _____ Block मसौरा Dist. जालौन
 Water Source एडमप्य वॉटर Location मसौरा
 Name & Designation Of Sample Collector एडमप्य वॉटर मसौरा
 Date of Analysis _____

S.No.	Physical Examination	Unit	Test Result	Indian Standard	
				Disirable limit	Permissable limit
A					
1-	Turbidity NTU	NTU	2	1	5
2-	Colour	-		5	25
3-	Odour	-		-	-
4-	pH Value	-	7.2	7.0 to 8.5	<6.5 to >9.2
5-	Total dissolved solids	ppm		500	2000
B	Chemical Analysis in	ppm			
6-	Total Hardness as (CaCO ₃)	-	260	200	600
a-	Calcium as (Ca)	-		75	200
b-	Magnesium as (mg)	-		30	100
7-	Chlorides as (Cl)	-	350	250	1000
8-	Sulphates as SO ₄	-	250	200	400
9-	Fluorides as (F)	-	1.1	1.0	1.5
10-	Nitrates (NO ₃)	-	0	45	<45
11-	Nitrite (NO ₂)	-		0.1	1.0
12-	Iron as (Fe)	-	0.1	0.1	0.3
13-	Residual Chlorine	-		0.2	1.0
14-	Alkalinity as (CaCO ₃)	-			
a-	Phenolphtheline	-		200	600
b-	Methyl Orange	-		0.01	0.05
15-	Arsenic as (As)	Micro mho			
16-	Conductivity	-		0	0
17-	Presence (By H ₂ S Strip)	-		0	0
18-	E-Coli (MPN) 100ml	-			
19-					
20-					
21-					
22-					

Test Result Satisfactory

Remarks

J.E.
J.E.

[Signature]

मनोज कुमार
Chemist

846

78



WATER TESTING LABORATORY

Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

Chemical analysis of Water

Report No. _____ Date _____
 Village/Town गाडीनि नगर Code No. _____ Block _____ Dist. Jalaun
 Water Source खसमय वार Location गोसावा
 Name & Description Of Sample Collector सिद्धेश्वर सेमल कलेक्टर
 Date of Analysis _____

S.No.	Physical Examination	Unit	Test Result	Indian Standard	
				Disirable limit	Permissable limit
A					
1-	Turbidity NTU	NTU	2	1	5
2-	Colour	-	-	5	25
3-	Odour	-	-	-	-
4-	pH Value	-	7.7	7.0 to 8.5	<6.5 to >9.2
5-	Total dissolved solids	ppm	-	500	2000
B	Chemical Analysis in	ppm			
6-	Total Hardness as (CaCO ₃)	"	310	200	600
a-	Calcium as (Ca)	-	-	75	200
b-	Magnesium as (mg)	-	-	30	100
7-	Chlorides as (Cl)	-	360	200	1000
8-	Sulphates as SO ₄	-	300	200	400
9-	Fluorides as (F)	-	1.2	1.0	1.5
10-	Nitrates (NO ₃)	-	0	45	<45
11-	Nitrite (NO ₂)	-	-	0.1	1.0
12-	Iron as (Fe)	-	0.1	0.1	0.3
13-	Residual Chlorine	-	-	0.2	1.0
14-	Alkalinity as (CaCO ₃)	-	-	-	-
a-	Phenolphtheline	-	-	200	600
b-	Methyl Orange	-	-	0.01	0.05
15-	Arsenic as (As)	Micro mts	-	-	-
16-	Conductivity	-	-	0	0
17-	Presence (By H ₂ S Strip)	-	-	0	0
18-	E-Coli (MPN) 100ml	-	-	-	-
19-					
20-					
21-					
22-					

Test Result Satisfactory

Remarks

[Signature]
J.E.

[Signature]

मनीष कुमार
Chemist

847

79



WATER TESTING LABORATORY

Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

Chemical analysis of Water

Report No. _____ Date _____
 Village/Town बोच नगर Code No. _____ Block _____ Dist. Jalaun
 Water Source खण्डवा Location बोच नगर
 Name & Designation Of Sample Collector हरि राम सिपाही
 Date of Analysis _____

S.No.	Physical Examination	Unit	Test Result	Indian Standard	
				Disirable limit	Permissable limit
A					
1-	Turbidity NTU	NTU	3	1	5
2-	Colour	"		5	25
3-	Odour	"			
4-	pH Value	"	7.3	7.0 to 8.5	<6.5 to >9.2
5-	Total dissolved solids	ppm		500	2000
B	Chemical Analysis in	ppm			
6-	Total Hardness as (CaCO ₃)	"	240	200	600
a-	Calcium as (Ca)	"		75	200
b-	Magnesium as (mg)	"		30	100
7-	Chlorides as (Cl)	"	320	200	1000
8-	Sulphates as SO ₄	"	230	200	400
9-	Fluorides as (F)	"	1.2	1.0	1.5
10-	Nitrates (NO ₃)	"	0	45	<45
11-	Nitrite (NO ₂)	"		0.1	1.0
12-	Iron as (Fe)	"	0.1	0.1	0.3
13-	Residual Chlorine	"		0.2	1.0
14-	Alkalinity as (CaCO ₃)	"			
a-	Phenolphtheline	"			
b-	Methyl Orange	"		200	600
15-	Arsenic as (As)	"		0.01	0.05
16-	Conductivity	Micro mho			
17-	Preecence (By H ₂ S Strip)	"		0	0
18-	E-Coli (MPN) 100ml	"		0	0
19-					
20-					
21-					
22-					

Test Result Satisfactory

Remarks

J.E.

J.E.

मनोज कुमार
Chemist



WATER TESTING LABORATORY

Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

Chemical analysis of Water

Report No. _____

Village/Town

कड़िया

Code No. _____

Block

खोर्

Date _____

Distt. Jalaun

Water Source

हैण्डपम्प वीर

Location

सोनावा

Name & Description Of Sample Collector

हरी राम

सैमात

खोर्

Date of Analysis _____

S.No.	Physical Examination	Unit	Test Result	Indian Standard	
				Disirable limit	Permissible limit
1-	Turbidity NTU	NTU	2	1	5
2-	Colour	-		5	25
3-	Odour	-		-	-
4-	pH Value	"	7.4	7.0 to 8.5	<6.5 to >9.2
5-	Total dissolved solids	ppm		500	2000
B Chemical Analysis in		ppm			
6-	Total Hardness as (CaCO ₃)	"	240	200	600
a-	Calcium as (Ca)	"		75	200
b-	Magnesium as (mg)	"		30	100
7-	Chlorides as (Cl)	-	330	200	1000
8-	Sulphates as So ₄	-	270	200	400
9-	Fluorides as (F)	"	1.0	1.0	1.5
10-	Nitrates (NO ₃)	"	0	45	<45
11-	Nitrite (NO ₂)	"		0.1	1.0
12-	Iron as (Fe)	"	0.1	0.1	0.3
13-	Residual Chlorine	-		0.2	1.0
14-	Alkalinity as (CaCO ₃)	"			
a-	Phenolphtheline	"			
b-	Methyl Orange	"		200	600
15-	Arsenic as (As)	-		0.01	0.05
16-	Conductivity	Microhm			
17-	Presence (by H ₂ S Strip)	-		0	0
18-	E-Coli (MPN) 100ml	-		0	0
19-					
20-					
21-					
22-					

Test Result Satisfactory

Remarks

✓

On



WATER TESTING LABORATORY

Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

Chemical analysis of Water

Report No. _____ Date _____
 Village/Town बोहदपुरा Code No. _____ Block सफौर Dist. Jalaun
 Water Source खेडपंप वॉर Location गैराफ्ला
 Name & Designation Of Sample Collector बरे राणा संयोजक कलरकर
 Date of Analysis _____

S.No.	Physical Examination	Unit	Test Result	Indian Standard	
				Disirable limit	Permissible limit
A					
1-	Turbidity NTU	NTU	2	1	5
2-	Colour	-		5	25
3-	Odour	"		.	.
4-	pH Value	"	7.5	7.0 to 8.5	<6.5 to >9.2
5-	Total dissolved solids	ppm		500	2000
B	Chemical Analysis in	ppm			
5-	Total Hardness as (CaCO ₃)	-	310	200	500
a-	Calcium as (Ca)	-		75	200
b-	Magnesium as (mg)	-		30	100
7-	Chlorides as (Cl)	-	320	200	1000
8-	Sulphates as SO ₄	-	270	200	400
9-	Fluorides as (F)	-	1.2	1.0	1.5
10-	Nitrates (NO ₃)	-	0	45	<45
11-	Nitrite (NO ₂)	-		0.1	1.0
12-	Iron as (Fe)	-	0.1	0.1	0.3
13-	Residual Chlorine	-		0.2	1.0
14-	Alkalinity as (CaCO ₃)	-			
a-	Phenolphtheline	-			
b-	Methyl Orange	-		200	600
15-	Arsenic as (As)	-		0.01	0.05
16-	Conductivity	Microhm			
17-	Presence (By H ₂ S Strip)	-		0	0
18-	E-Coli (MPN) 100ml	-		0	0
19-					
20-					
21-					
22-					

Test Result Satisfactory

Remarks

J.E.

J.E.

मनीष कुमार
Chemist



WATER TESTING LABORATORY

Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

Chemical analysis of Water

Report No. - Date.....
 Village/Town... इन्दुवासापुरा Code No..... Block... खोरे Distt... Jalaun
 Water Source... कुण्ड Location... इन्दुवासा
 Name & Designation Of Sample Collector... इन्दिराणा असिष्ठ
 Date of Analysis.....

S.No.	Physical Examination	Unit	Test Result	Indian Standard	
				Disirable limit	Permissable limit
A					
1-	Turbidity NTU	NTU	2	1	5
2-	Colour	"		5	25
3-	Odour	"		"	"
4-	pH Value	"	7.0	7.0 to 8.5	<6.5 to >9.2
5-	Total dissolved solids	ppm		500	2000
B	Chemical Analysis in	ppm			
6-	Total Hardness as (CaCO ₃)	"	290	200	600
a-	Calcium as (Ca)	"		75	200
b-	Magnesium as (mg)	"		30	100
7-	Chlorides as (Cl)	"	310	200	1000
8-	Sulphates as So ₄	"	220	200	400
9-	Fluorides as (F)	"	1.2	1.0	1.5
10-	Nitrates (NO ₃)	"	0	45	<45
11-	Nitrite (NO ₂)	"	0.1	0.1	1.0
12-	Iron as (Fe)	"		0.2	1.0
13-	Residual Chlorine	"			
14-	Alkalinity as (CaCO ₃)	"			
a-	Phenolphtheline	"		200	600
b-	Methyl Orange	"		0.01	0.05
15-	Arsenic as (As)	Micro mhu		0	0
16-	Conductivity	"		0	0
17-	Preence (By H ₂ S Strip)	"			
18-	E-Coll (MPN) 100ml				
19-					
20-					
21-					
22-					

Test Result... Satisfactory

Remarks

J.I.

J.I.

मोक्ष कुमार
Chemist



WATER TESTING LABORATORY

Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

Chemical analysis of Water

Report No. -
 Village/Town... बेडागाँव Code No. Block बेडागाँव Date.....
 Water Source हण्डपम्प वीर Location मोडीवाडी
 Name & Designation Of Sample Collector डॉ. राधा सैमस पुलेकर
 Date of Analysis

S.No.	Physical Examination	Unit	Test Result	Indian Standard	
				Disirable limit	Permissible limit
1-	Turbidity NTU	NTU	3	1	5
2-	Colour	"		6	25
3-	Odour	"		*	
4-	pH Value	"	7.6	7.0 to 8.5	<6.5 to >9.2
5-	Total dissolved solids	ppm		500	2000
B	Chemical Analysis in	ppm			
6-	Total Hardness as (CaCO ₃)	"	270	200	600
a-	Calcium as (Ca)	"		75	200
b-	Magnesium as (mg)	"		30	100
7-	Chlorides as (Cl)	"	310	200	1000
8-	Sulphates as SO ₄	"	260	200	400
9-	Fluorides as (F)	"	1.1	1.0	1.5
10-	Nitrates (NO ₃)	"	0	45	<45
11-	Nitrite (NO ₂)	"		0.1	1.0
12-	Iron as (Fe)	"	0.2	0.1	0.3
13-	Residual Chlorine	"		0.2	1.0
14-	Alkalinity as (CaCO ₃)	"			
a-	Phenolphtheline	"			
b-	Methyl Orange	"		200	500
15-	Arsenic as (As)	"		0.01	0.05
16-	Conductivity	Micro mho			
17-	Presence (By H ₂ S Strip)	"		0	0
18-	E-Coli (MPN) 100ml	"		0	0
19-					
20-					
21-					
22-					

Test Result Satisfactory

Remarks

J.E.
J.E.

M.E.
M.E.

मनीष कुमार
Chemist

852



WATER TESTING LABORATORY

Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

Chemical analysis of Water

Report No. - Date,

Village/Town... मड़ौरा Code No. Block... डफौर Dist. Jalaun

Water Source... हंसपस्य वीर Location... गौडाबा

Name & Desination Of Sample Collector... डॉ. राणा सेखम कलेक्टर

Date of Analysis... ..

S.No.	Physical Examination	Unit	Test Result	Indian Standard	
				Disirable limit	Permissable limit
A					
1-	Turbidity NTU	NTU	2	1	5
2-	Colour	"		5	25
3-	Odour	"		"	"
4-	P ^H Value	"	7.2	7.0 to 8.5	<8.5 to >9.2
5-	Total dissolved solids	ppm		500	2000
B	Chemical Analysis in	ppm			
6-	Total Hardness as (CaCO ₃)	"	260	200	600
a-	Calcium as (Ca)	"		75	200
b-	Magnesium as (mg)	"		30	100
7-	Chlorides as (Cl)	"	350	200	1000
8-	Sulphates as SO ₄	"	250	200	400
9-	Fluorides as (F)	"	1.1	1.0	1.5
10-	Nitrates (NO ₃)	"	0	45	<45
11-	Nitrite (NO ₂)	"		0.1	1.0
12-	Iron as (Fe)	"	0.1	0.1	0.3
13-	Residual Chlorine	"		0.2	1.0
14-	Alkalnity as (CaCO ₃)	"			
a-	Phenolphtheline	"		200	600
b-	Methyl Orange	"		0.01	0.05
15-	Arsenic as (As)	Micro mhu			
16-	Conductivity	"		0	0
17-	Preence (By H ₂ S Strip)	"		0	0
18-	E-Coli (MPN) 100ml				
19-					
20-					
21-					
22-					

Test Result... Satisfactory

मनोज कुमार



WATER TESTING LABORATORY

Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

Chemical analysis of Water

Report No. -

Village/Town आलौन नगर

Code No.

Block.

Date.

Distt. Jalaun

Water Source हण्डपम्प वार

Location गोसागाँव

Name & Designation Of Sample Collector सिद्धेश्वर सिंगल कलेक्टर

Date of Analysis

S.No.	Physical Examination	Unit	Test Result	Indian Standard	
				Disirable limit	Permissable limit
A					
1-	Turbidity NTU	NTU	2	1	5
2-	Colour	"		5	25
3-	Odeur	"		-	-
4-	pH Value	"	7.7	7.0 to 8.5	<6.5 to >9.2
5-	Total dissolved solids	ppm		500	2000
B	Chemical Analysis in	ppm			
6-	Total Hardness as (CaCO ₃)	"	310	200	600
a-	Calcium as (Ca)	"		75	200
b-	Magnesium as (mg)	"		30	100
7-	Chlorides as (Cl)	"	360	200	1000
8-	Sulphates as SO ₄	"	300	200	400
9-	Fluorides as (F)	"	1.2	1.0	1.5
10-	Nitrate (NO ₃)	"	0	45	<45
11-	Nitrite (NO ₂)	"		0.1	1.0
12-	Iron as (Fe)	"	0.1	0.1	0.3
13-	Residual Chlorine	"		0.2	1.0
14-	Alkalinity as (CaCO ₃)	"			
a-	Phenolphtheline	"		200	600
b-	Methyl Orange	"		0.01	0.05
15-	Arsenic as (As)	"			
16-	Conductivity	Micro mho		0	0
17-	Preence (By H ₂ S Strip)	"		0	0
18-	E-Coli (MPN) 100ml				
19-					
20-					
21-					
22-					

Test Result Satisfactory

Remarks

J.E.

मनीष कुमार
Chemist



WATER TESTING LABORATORY

Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

Chemical analysis of Water

Report No. -

Date.....

Village/Town..... खींच नगर Code No..... Block..... Distt-Jalaun

Water Source..... हॉस्पिटल वॉटर Location..... खींच नगर

Name & Desination Of Sample Collector..... छिंदे राणा संयोजक खींच नगर

Date of Analysis.....

S.No.	Physical Examination	Unit	Test Result	Indian Standard	
				Disirable limit	Permissable limit
A					
1-	Turbidity NTU	NTU	3	1	5
2-	Colour	"		5	25
3-	Odour	"			
4-	P ^H Value	"	7.3	7.0 to 8.5	<6.5 to >9.2
5-	Total dissolved solids	ppm		500	2000
B	Chemical Analysis in	ppm			
6-	Total Hardness as (CaCO ₃)	"	240	200	600
a-	Calcium as (Ca)	"		75	200
b-	Magnesium as (mg)	"		30	100
7-	Chlorides as (Cl)	"	320	200	1000
8-	Sulphates as SO ₄	"	230	200	400
9-	Fluorides as (F)	"	1.2	1.0	1.5
10-	Nitrates (NO ₃)	"	0	45	<45
11-	Nitrite (NO ₂)	"		0.1	1.0
12-	Iron as (Fe)	"	0.1	0.1	0.3
13-	Residual Chlorine	"		0.2	1.0+
14-	Alkalinity as (CaCO ₃)	"			
a-	Phenolphtheline	"		200	600
b-	Methyl Orange	"		0.01	0.05
15-	Arsanic as (As)	"			
16-	Conductivity	Micro mho		0	0
17-	Precence (By H ₂ S Strip)	"		0	0
18-	E-Coli (MPN) 100ml	"			
19-					
20-					
21-					
22-					

Test Result..... Satisfactory

Remarks

J.E.

J.E.

मनोष कुमार
Chemist



WATER TESTING LABORATORY

Orai Khand U.P. Jal Nigam Orai (Jalaun)

Chemical analysis of Water

Report No -

Village/Town

कुइया

Code No.

Block

इधोर

Date

Distt. Jalaun

Water Source

हंडपम्प गोर

Location

गौरासा

Name & Desination Of Sample Collector

हरि राय

सैमता

श्रीकर

Date of Analysis

S.No.	Physical Examination	Unit	Test Result	Indian Standard	
				Disirable limit	Permissable limit
1-	Turbidity NTU	NTU	2	1	5
2-	Colour	"		5	25
3-	Odour	"		-	-
4-	pH Value	"	7.4	7.0 to 8.5	<6.5 to >9.2
5-	Total dissolved solids	ppm		500	2000
B Chemical Analysis in		ppm			
6-	Total Hardness as (CaCO ₃)	"	240	200	600
a-	Calcium as (Ca)	"		75	200
b-	Magnesium as (mg)	"		30	100
7-	Chlorides as (Cl)	"	330	200	1000
8-	Sulphates as So ₄	"	270	200	400
9-	Fluorides as (F)	"	1.0	1.0	1.5
10-	Nitrates (NO ₃)	"	0	45	<45
11-	Nitrite (NO ₂)	"		0.1	1.0
12-	Iron as (Fe)	"	0.1	0.1	0.3
13-	Residual Chlorine	"		0.2	1.0
14- Alkalinity as (CaCO ₃)		"			
a-	Phenolphtheline	"			
b-	Methyl Orange	"		200	600
15-	Arsenic as (As)	"		0.01	0.05
16-	Conductivity	Micro m.			
17-	Presence (By H.S Strip)	"		0	0
18-	E-Coli (MPN) 100ml	"		0	0
19-					
20-					
21-					
22-					

Test Result

Satisfactory

Remarks

J.E.

R.E.

मनोज कुमार
Chemist



WATER TESTING LABORATORY

Orai, Khand U.P., Jal Nigam Orai (Jalaun)

Chemical analysis of Water

Report No. _____ Date _____
 Village/Town बोहदपुरा Code No. _____ Block सफौर Dist. Jalaun
 Water Source होसपुष्प वॉर Location गौरावा
 Name & Designation Of Sample Collector इंदु राय सिमांत कलकर
 Date of Analysis _____

S.No.	Physical Examination	Unit	Test Result	Indian Standard	
				Disirable limit	Permissable limit
A					
1-	Turbidity NTU	NTU	2	1	5
2-	Colour	-		5	25
3-	Odour	-		*	*
4-	pH Value	-	7.5	7.0 to 8.5	<6.5 to >9.2
5-	Total dissolved solids	ppm		500	2000
B	Chemical Analysis in	ppm			
6-	Total Hardness as (CaCO ₃)	-	310	200	500
a-	Calcium as (Ca)	-		75	200
b-	Magnesium as (mg)	-		30	100
7-	Chlorides as (Cl)	-	320	200	1000
8-	Sulphates as SO ₄	-	270	200	400
9-	Fluorides as (F)	-	0	1.0	1.5
10-	Nitrates (NO ₃)	-		0.1	0.3
11-	Nitrite (NO ₂)	-	0.1	0.1	1.0
12-	Iron as (Fe)	-		0.2	
13-	Residual Chlorine	-			
14-	Alkalinity as (CaCO ₃)	-			
a-	Phenolphtheline	-		200	500
b-	Methyl Orange	-		0.01	0.05
15-	Arsenic as (As)	Micro mho		0	0
16-	Conductivity	-		0	0
17-	Presence (By H ₂ S Strip)	-			
18-	E.Coli (MPN) 100ml	-			
19-					
20-					
21-					
22-					

Test Result Satisfactory

Initials _____

J.L.

(Signature)
N.E.

मनीष कुमार
Chemist

TEST REPORT

Test Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM (GRAMIN), ORAI, JALAJUN, UTTAR PRADESH,
INDIA.

Test Report No:

K191004012/K191004012-1

Date of Issue: 23-Aug-2023



Sample Booking Receipt Date: 18-Aug-2023

Date of Start of Testing: 18-Aug-2023

Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number

54561

Sample Description :

KANHA GAUSHALA, NAGAR PALIKA PARISHAD, KONCH, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2301M-18/23, DATED - 18.08.2023

CIN: U73200UP2006PTC031472

Kind Attention: MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: anchal20@gmail.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition: NA

Sample Quantity (Approx): NA

Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report issued By

ULR-TC784519000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Balli Industrial Area, Near Panki Site-IV, Kanpur-208020(India)
Phone : +91-9235503984/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com || Email: knp@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

Please refer to our Website <http://www.spectro.in/spectro-policies.html> for Terms & Condition

90

858

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023
 Date of completion of testing: 23.08.2023

Sl. No.	Test Parameter	Observed Value	Test Method
1.	C.O.D, mg/l	18	IS:3025(P-58)-2006
2.	B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l	4	IS:3025(P-44)-1993

*****End of report*****

[Signature]
 Analyst Signature



- End of Test Report -

ULR-TC784519000057012F



Authorised Signatory

TEST REPORT

Test Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM (GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH,
INDIA.

Test Report No:

K181004012K191004012.1

Date of Issue:

23-Aug-2023



Sample Receipt/Issue Date:

18-Aug-2023

Date of Start of Testing:

18-Aug-2023

Date of Completion of Test:

23-Aug-2023

Customer Relationship Number

54562

Sample Description :

KANHA GAUSHALA, NAGAR PANCHAYAT, NADIGAON, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN: U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: anchal.y26@gmail.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx) : NA

Sample Size (Approx) : NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Ball Industrial Area, Near Pankaj Site-IV, Kanpur-208020 (India)

Phone : +91-9235503984/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com || Email: knnp@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

Please refer to our Website <http://www.spectro.in/spectro-policies.html> for Terms & Condition

860

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023

Date of completion of testing: 23.08.2023

Sl. No.	Test Parameter	Observed Value	Test Method
1.	C.O.D, mg/l	17	IS:3025(P-58)-2006
2.	B.O.D (5 days) at 20 ^o C, mg/l	3	IS:3025(P-44)-1993

*****End of report*****

[Handwritten Signature]
Analyst Signature



Testing(TC-7845)



- End of Test Report -

ULR-TC784519000057012F



Authorized Signatory

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Ball Industrial Area, Near Panki Ste-IV, Kanpur-208020(India)

Phone :+91-9235503984/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com|| Email: knp@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

861

44

ID -K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023

Date of completion of testing: 23.08.2023

Sl.No.	Test Parameter	Observed Value	Test Method
1.	C.O.D, mg/l	16	IS:3025(P-58)-2006
2.	B.O.D (5 days) at 20 ^o C, mg/l	4	IS:3025(P-44)-1993

*****End of report*****

[Handwritten Signature]

Analyst Signature



Testing(TC-7648)



- End of Test Report -

ULR-TC764519000057012F



Authorized Signatory

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Bali Industrial Area, Near Panki Site-IV, Kanpur-208020(India)

Phone :+91-9235503984/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com|| Email: knp@spectro.in

ISO 6001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

862

13

TEST REPORT

Test Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
 U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH,
 INDIA.

Test Report No:

K191004012K1BT004012.1

Date of Issue:

23-Aug-2023



Sample Booking/Receipt Date:

18-Aug-2023

Date of Start of Testing:

18-Aug-2023

Date of Completion of Test:

25-Aug-2023

Customer Relationship Number

54563

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA,VILL.- BHADARI, VIKAS KHAND, KONCH, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-18/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: ajayk26@gmail.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx): NA

Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report issued By

ULR-TC784519000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Ball Industrial Area, Near Panki Site-IV,Kanpur-208020(India)

Phone :+91-9235503984/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com|| Email: knnp@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

Please refer to our Website <http://www.spectro.in/spectro-policies.html> for Terms & Condition

863

TEST REPORT

Test Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH,
INDIA.

Test Report No: K191004012/K191004012-1

Date of Issue: 23-Aug-2023



Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023

Date of Start of Testing: 18-Aug-2023

Date of Completion of Test: 22-Aug-2023

Customer Relationship Number: 54564

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA,VILL.- BABAI, VIKAS KHAND, JALAUN, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: playful25@gmail.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx): NA

Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Ball Industrial Area, Near Parki Site-IV,Kanpur-208020(India)

Phone :+91-9235503984/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com || Email: knj@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

Please refer to our Website <http://www.spectro.in/spectro-policies.html> for Terms & Condition

46

864

ID -K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023

Date of completion of testing: 23.08.2023

Sl. No.	Test Parameter	Observed Value	Test Method
1.	C.O.D, mg/l	19	IS:3025(P-58)-2006
2.	B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l	5	IS:3025(P-44)-1993

*****End of report*****

[Handwritten Signature]
 Analyst Signature



- End of Test Report -

ULR-TC784519000057012F



Authorised Signatory

865

17

TEST REPORT

Test Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
 U.P. JAL NIGAM (GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH,
 INDIA

Test Report No:

K191004012/K191004012.1

Date of Issue:

23-Aug-2023



Sample Booking/Receipt Date:

18-Aug-2023

Date of Start of Testing:

18-Aug-2023

Date of Completion of Test:

23-Aug-2023

Customer Relationship Number

54565

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA, VILL.- AINDHA, VIKAS KHAND, DAKOR, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2381/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN: U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: rajiv28@cmsil.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx): NA

Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Ball Industrial Area, Near Panki Site-IV, Kanpur-208020 (India)
 Phone : +91-9235603984/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com || Email: knpl@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

Please refer to our Website <http://www.spectro.in/spectro-policies.html> for Terms & Condition

48

866

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023

Date of completion of testing: 23.08.2023

Sl. No.	Test Parameter	Observed Value	Test Method
1.	C.O.D, mg/l	16	IS:3025(P-58)-2006
2.	B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l	3	IS:3025(P-44)-1993

*****End of report*****

[Handwritten Signature]
 Analyst Signature



TestNo/TC-7943



- End of Test Report -

ULR-TC784519000057012F



Authorised Signatory

TEST REPORT

Test Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM (GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH,
INDIA,

Test Report No: K181004012/K181004012-1

Date of Issue: 23-Aug-2023



Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023

Date of Start of Testing: 18-Aug-2023

Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number: 54566

Sample Description:

KANHA GAUSHALA, NAGAR PALIKA, JALAUN, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No:

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN: U73200UP2006PTC031472

Kind Attention: MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: as@jalnigam.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition: NA

Sample Quantity (Approx): NA

Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Bali Industrial Area, Near Panki Site-IV, Kanpur-206020 (India)

Phone: +91-9235503984/85 || Web: www.spectrorsearchlabs.com || Email: knj@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

Please refer to our Website <http://www.spectro.in/spectro-policies.html> for Terms & Condition

868

100

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023

Date of completion of testing: 23.08.2023

Sl. No.	Test Parameter	Observed Value	Test Method
1.	C.O.D, mg/l	18	IS:3025(P-58)-2006
2.	B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l	3	IS:3025(P-44)-1993

*****End of report*****

[Handwritten Signature]
 Analyst Signature



Testing(TC-7543)



- End of Test Report -

ULR-TC784519000057012F



Authorised Signatory

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Balli Industrial Area, Near Panki Site-IV, Kanpur-208020(India)

Phone :+91-9235503984/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com|| Email: krp@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

TEST REPORT

Test Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM (GRAMIN), ORAI, JALAIN, UTTAR PRADESH,
INDIA,

Test Report No: K1910040129K191004012J
Date of Issue: 23-Aug-2023
Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023
Date of Start of Testing: 16-Aug-2023
Date of Completion of Test: 23-Aug-2023



Customer Relationship Number 54567

Sample Description :

KANHA GAUSHALA, NAGAR PALIKA, ORAI, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391M-18/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: anchal.k26@gmail.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx): NA

Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authencity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Ball Industrial Area, Near Pandi Site-IV, Kanpur-208020(India)

Phone :+91-9235503984/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com || Email: knj@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

Please refer to our Website <http://www.spectro.in/spectro-policies.html> for Terms & Condition

102

870

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023

Date of completion of testing: 23.08.2023

Sl. No.	Test Parameter	Observed Value	Test Method
1.	C.O.D, mg/l	17	IS:3025(P-58)-2006
2.	B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l	4	IS:3025(P-44)-1993

*****End of report*****

[Handwritten Signature]
 Analyst Signature



Testing(TC-7642)



- End of Test Report -

ULR-TC784519000057012F



Authorised Signatory

871

102

TEST REPORT

Test Report Issued To

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
 U.P. JAL NIGAM (GRAMIN), ORAI, JALAIUN, UTTAR PRADESH,
 INDIA.

Test Report No:

K191004012/K191004012-1

Date of Issue:

23-Aug-2023



Sample Booking Receipt Date:

18-Aug-2023

Date of Start of Testing:

18-Aug-2023

Date of Completion of Test:

23-Aug-2023

Customer Relationship Number

54568

Sample Description :

KANHA GAUSHALA, NAGAR PALIKA, KALPI, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN: U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: anchal25@gmail.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx): NA

Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in
 This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Bai Industrial Area, Near Panki Site-IV, Kanpur-208020 (India)
 Phone : +91-9235503994/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com || Email: knpr@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory
 Please refer to our Website <http://www.spectro.in/spectro-policies.html> for Terms & Condition

104

872

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023
Date of completion of testing: 23.08.2023

Sl. No.	Test Parameter	Observed Value	Test Method
1.	C.O.D, mg/l	19	IS:3025(P-58)-2006
2.	B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l	2	IS:3025(P-44)-1993

*****End of report*****

[Handwritten Signature]
Analyst Signature



- End of Test Report -

ULR-TC784519000057012F



Authorised Signatory

107
873**TEST REPORT**

Test Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM (GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH,
INDIA.

Test Report No.

K191004012/K191004012-1

Date of Issue:

23-Aug-2023



Sample Booking/Receipt Date:

18-Aug-2023

Date of Start of Testing:

18-Aug-2023

Date of Completion of Test:

23-Aug-2023

Customer Relationship Number

54569

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA, NAGAR PANCHAYAT, KOTRA, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN: U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: anjuly26@gmail.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx): NA

Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Ball Industrial Area, Near Panki Site-IV, Kanpur-208020 (India)

Phone : +91-9235503984/85 || Web: www.spectrorsearchlabs.com || Email: knp@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

Please refer to our Website <http://www.spectro.in/spectro-policies.html> for Terms & Condition

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023

Date of completion of testing: 23.08.2023

Sl. No.	Test Parameter	Observed Value	Test Method
1.	C.O.D, mg/l	16	IS:3025(P-58)-2006
2.	B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l	3	IS:3025(P-44)-1993

*****End of report*****

Analyst Signature



Testing(TC-7649)



- End of Test Report -

ULR-TC784519000057012F



Authorised Signatory

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Ball Industrial Area, Near Panki Site-IV, Karapur-208020(India)
Phone :+91-9235503984/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com|| Email: knp@spectro.in
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

10 T

875

TEST REPORT

Test Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
 U.P. JAL NIGAM (GRAMIN), ORAI, JALAIN, UTTAR PRADESH,
 INDIA.

Test Report No: K191004012/K191004012-1

Date of Issue: 23-Aug-2023



Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023

Date of Start of Testing: 18-Aug-2023

Date of Completion of Test: 20-Aug-2023

Customer Relationship Number: 54570

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA, SHAKKAR MILLE, DIKAULI, MADHOGARH, NAGAR PANCHAYAT,
 MADHOGARH, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: ajayib/26@gmail.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx): NA

Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Ball Industrial Area, Near Panki Site-IV, Kanpur-208020 (India)

Phone : +91-8235503884/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com || Email: knj@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

Please refer to our Website <http://www.spectro.in/spectro-policies.html> for Terms & Condition

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023

Date of completion of testing: 23.08.2023

Sl. No.	Test Parameter	Observed Value	Test Method
1.	C.O.D, mg/l	17	IS:3025(P-58)-2006
2.	B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l	3	IS:3025(P-44)-1993

*****End of report*****

[Handwritten Signature]
Analyst Signature



Testing (TC-7645)



- End of Test Report -

ULR-TC764519000057012F



Authorised Signatory

877

104

TEST REPORT

Test Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
 U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH,
 INDIA.

Test Report No: K191004012K191004012-1

Date of Issue: 23-Aug-2023



Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023

Date of Start of Testing: 18-Aug-2023

Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number 54571

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA,VILL.- KAITHAVA, VIKAS KHAND, KUTHOND, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO, 2391M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: anchalgupta26@gmail.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx) : NA

Sample Size (Approx) : NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Ball Industrial Area, Near Parki Site-IV, Kanpur-208020(India)
 Phone :+91-9235503984/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com || Email: knp@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

Please refer to our Website <http://www.spectro.in/spectro-policies.html> for Terms & Condition

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023

Date of completion of testing: 23.08.2023

Sl. No.	Test Parameter	Observed Value	Test Method
1.	C.O.D, mg/l	18	IS:3025(P-58)-2006
2.	B.O.D [5 days] at 20°C, mg/l	4	IS:3025(P-44)-1993

*****End of report*****

- End of Test Report -

Swid
Analyst Signature



Testing/TC-7845



ULR-TC784519000057012F



Authorised Signatory

879

TEST REPORT

Test Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM (GRAMIN), ORAI, JALAUN, UTTAR PRADESH,
INDIA.

Test Report No:

K131004012K131004012-1

Date of Issue:

23-Aug-2023



Sample Booking/Receipt Date:

15-Aug-2023

Date of Start of Testing:

15-Aug-2023

Date of Completion of Test:

23-Aug-2023

Customer Relationship Number

54572

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA, VILL- BHAGAURA, VIKAS KHAND, MAHEWA, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN: U73200UP2006PTC031472

Kind Attention :

MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail:

ajaygk26@gmail.com

Contact No:

7237630980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx):

NA

Sample Size (Approx):

NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Ball Industrial Area, Near Panki Site-IV, Kanpur-208020 (India)

Phone : +91-9235503984/05 || Web: www.spectroresearchlabs.com || Email: knpo@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

Please refer to our Website <http://www.spectro.in/spectro-policies.html> for Terms & Condition

112

880

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023
 Date of completion of testing: 23.08.2023

Sl. No.	Test Parameter	Observed Value	Test Method
1.	C.O.D, mg/l	19	IS:3025(P-58)-2006
2.	B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l	4	IS:3025(P-44)-1993

*****End of report*****

[Handwritten Signature]
 Analyst Signature



- End of Test Report -

ULR-TC784519000057012F



Authorised Signatory

881

113

TEST REPORT

Test Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
 U.P. JAL NIGAM (GRAMIN), ORAI, JALAIJUN, UTTAR PRADESH,
 INDIA.

Test Report No: K181004012/K191004012.1

Date of Issue: 23-Aug-2023



Sample Booking Receipt Date: 18-Aug-2023

Date of Start of Testing: 18-Aug-2023

Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number **54573**

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA, VILL - MAJITH, VIKAS KHAND, RAMPURA, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN: U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: rajv.ty20@qmssl.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx) : NA

Sample Size (Approx) : NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report Issued By

ULR-TC784519000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Ball Industrial Area, Near Panki Site-IV, Kanpur-208020 (India)

Phone : +91-9235503984/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com || Email: knpi@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

Please refer to our Website <http://www.spectro.in/spectro-policies.html> for Terms & Condition

117

882

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023

Date of completion of testing: 23.08.2023

Sl. No.	Test Parameter	Observed Value	Test Method
1.	C.O.D, mg/l	16	IS:3025(P-58)-2006
2.	B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l	3	IS:3025(P-44)-1993

*****End of report*****

[Handwritten Signature]
 Analyst Signature



- End of Test Report -

ULR-TC784519000057012F



Authorised Signatory

883

115

TEST REPORT

Test Report Issued To:

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER, DIVISION OFFICE
U.P. JAL NIGAM(GRAMIN), CRAI, JALAUN, UTTAR PRADESH,
INDIA.

Test Report No: K121004012/K121004012-1

Date of Issue: 23-Aug-2023



Sample Booking/Receipt Date: 18-Aug-2023

Date of Start of Testing: 18-Aug-2023

Date of Completion of Test: 23-Aug-2023

Customer Relationship Number 54574

Sample Description :

ASTHAI GAUSHALA,VILL.- CHAMARI, VIKAS KHAND, KADAURA, DATED - 18.08.2023

Customer Reference No

LETTER NO. 2391/M-16/23, DATED - 18.08.2023

CIN:U73200UP2006PTC031472

Kind Attention : MR. Anchal Kumar Gupta (Executive Engineer)

E-Mail: anchal.a.26@gmail.com

Contact No: 7237830980

Sample Condition : NA

Sample Quantity (Approx) : NA

Sample Size (Approx): NA

SAMPLE NOT DRAWN BY OUR LABORATORY. THE RESULTS RELATE ONLY TO THE ITEMS TESTED

Report issued By

ULR-TC784519000057012F

Authenticity of report can be verified by mail at verification@spectrolab.in

This is a Digitally Signed Report and hence doesn't require Physical Signature.

Spectro Research Lab Ventures (P) Ltd, G-3, Bajrang Ball Industrial Area, Near Panki Site-IV, Kanpur-208020(India)

Phone : +91-9235503984/85 || Web: www.spectroresearchlabs.com || Email: knj@spectro.in

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 Certified Laboratory

Please refer to our Website <http://www.spectro.in/spectro-policies.html> for Terms & Condition

ID-K191004012-1

Date of start of testing: 18.08.2023

Date of completion of testing: 23.08.2023

Sl. No.	Test Parameter	Observed Value	Test Method
1.	C.O.D, mg/l	15	IS:3025(P-58)-2006
2.	B.O.D (5 days) at 20°C, mg/l	2	IS:3025(P-44)-1993

*****End of report*****

[Signature]
Analyst Signature



- End of Test Report -

ULR:TC784619000057012F



Authorised Signatory

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date ..13/09/23....



संदर्भ सं०

Ref. No. H00683...../सी-2/MSW-23/23

सेवा में,

सदस्य सचिव
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
परिदेश भवन, ईस्ट अर्जुन नगर,
दिल्ली।

विषय- निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु स्थापित गो आश्रय स्थलों/संरक्षण केन्द्रों हेतु स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन के पत्रांक 2014(1)/संतीस-2-2023 दिनांक 30.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (अद्यापति संलग्न)। उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लगभग 190.3 लाख गोवंश थे। कृषि क्षेत्र में मशीनरीकरण के प्रयोग से स्वदेशी/अशुद्ध गोवंश के नर वत्स के अनुपयोगी हो जाने के कारण पशुपालक इन्हें निराश्रित छोड़ देते हैं। ये निराश्रित गोवंश अनियंत्रित होकर प्रजनन द्वारा अनुपयोगी/कम उत्पादकता के गोवंश की उत्पत्ति करते हैं, जिसके फलस्वरूप निराश्रित गोवंशों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती है। प्रदेश में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम-1955 (यथासंशोधित-2000) लागू है, जिसके अन्तर्गत गोवध पर प्रभावी तरीके से प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा सम्प्रति प्रदेश में लगभग 14 लाख निराश्रित गोवंश हैं।

निराश्रित गोवंशों की संख्या में कमी लाने एवं इनके संरक्षण तथा भरण-पोषण हेतु सारानादेश संख्या-4324/संतीस-2-2018-5(33)/2018 दिनांक 02.01.2019 द्वारा अस्थायी गो-आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन नीति का प्रख्यापन किया गया है। इस नीति के अनुसार निराश्रित पशुओं के संरक्षण एवं भरण-पोषण की जिम्मेदारी स्थानीय निवास की है। नीति के अन्तर्गत यह भी प्रावधानित है कि अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल (कभी भी सम्पूर्णतया हटाने योग्य) की स्थापना, व्यवस्था एवं प्रबंधन, संचालन स्थानीय निवास द्वारा की जायेगी। निराश्रित गो आश्रय स्थल अस्थायी प्रकृति के (कभी भी सम्पूर्णतया हटाने योग्य) है। यह स्थल कोई व्यवसायिक केन्द्र न होकर शेल्टर मात्र हैं, जिन पर निराश्रित गोवंश के De-minimis जीवन निर्वाह की कल्याणकारी व्यवस्था है। अधिकांश गो आश्रय स्थलों में 200 से कम गोवंश संरक्षित हैं। अतः कम संख्या में गोवंश होने के कारण आश्रय स्थलों में गोबर, गोमूत्र एवं चारे के अपशिष्ट कम मात्रा में उत्पादित होते हैं, तथा उत्पादित होने वाले इन अपशिष्टों को कम्पोस्ट के रूप में उसी स्थल पर उपयोग में ले लिया जाता है। अतः इन आश्रय स्थलों में उत्पादित अपशिष्ट का पर्यावरणीय प्रभाव नगण्य है। गो आश्रय स्थल कभी भी सम्पूर्णतया हटाने योग्य शेल्टर मात्र है। वे कोई उद्यम अथवा व्यवसायिक केन्द्र नहीं हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुलाई 2020 में डेबरी फार्म एवं गोशालाओं में पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु गाइडलाइन निर्गत की गयी है। उक्त गाइडलाइन्स के प्रावधानों के अनुसार गोशालाओं की स्थापना से पूर्ण सहमति एवं संचालनार्थ सहमति प्राप्त किया जाना प्रावधानित है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन की दोनों श्रेणियों से आच्छादित नहीं हैं। साथ ही प्रारम्भिक स्तर पर कराई गई जांचों में पर्यावरणीय प्रभाव नगण्य है।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 30.08.2023 के आलोक में प्राणीय श्रेणियों में स्थापित निराश्रित गोवंश आश्रय स्थल को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति/संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये जाने की अनिवार्यता से मुक्त किये जाने के सम्बंध में यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिनिधि-

1. अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन को आपके पत्रांक 2014(1)/संतीस-2-2023 दिनांक 30.08.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831

I/378791/2023

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-2
संख्या-2115/सैतीस-2-2023
लखनऊ :: दिनांक अगस्त, 2023

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन।

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-394/2022 Pushpendra Kumar Vs Block Development Officer, Kadaura & Ors. में पारित आदेश दिनांक 20.07.2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।
2- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० संख्या-394/2022 Pushpendra Kumar Vs Block Development Officer, Kadaura & Ors. में पारित आदेश दिनांक 20.07.2023 में डेयरी फार्म्स एवं गोशालाओं में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी०पी०सी०बी०) द्वारा पर्यावरण प्रबन्धन के सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित निराश्रित गो आश्रय स्थलों हेतु पर्यावरण प्रबन्धन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही पशुधन विभाग द्वारा की जा रही है।
3- अतः अनुरोध है कि कृपया नगरीय क्षेत्रों में स्थापित/संचालित कान्हा गोशाला एवं गो आश्रय स्थलों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी०पी०सी०बी०) द्वारा निर्गत गाइडलाइन्स के क्रम में पर्यावरण प्रबन्धन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करें।
संलग्नक:-यथोक्त।

Signed by देवेन्द्र कुमार
पाण्डेय
(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय) 19:34
विशेष सचिव

संख्या-2115(1)/सैतीस-2-2023तददिनांक।
प्रतिलिपि प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।